रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 08, 2018/आश्विन 16, 1940
No. 373] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 08, 2018/ASVINA 16, 1940

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

कोलकाता, 29 सितम्बर, 2018

सं.जी/18–सीडब्ल्यूए/9/2018.—कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उपधारा 5 के अनुसरण में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और उक्त संस्थान के लेखा परीक्षित लेखों को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

सीएमए एल. गुरूमूर्ति, सचिव (कार्यकारी)
[विज्ञापन–III/4/असाधारण/249/18]

59वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18

दि काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को इस संस्थान के भागों, समितियों, क्षेत्रों की उपलब्धियों और कियाकलापों तथा अध्यायों का उल्लेख करते हुए इस 59वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18
निदेशालय और इसके क्रियाकलाप

➢ **पीडी और सीपीडी समिति**

- वर्ष के दौरान पीडी निदेशालय ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, तथा अन्य संगठनों को जी एस टी, लेखा, आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षा/कराधन, स्टॉक लेखा परीक्षा और अन्य कार्यों के संबंध में व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लागत लेखाकारों को शामिल करने के लिए 625 से अधिक अभ्यावेदन भेजे हैं।
- इस संस्थान को नियमित आधार पर विभिन्न कारपोरेट, सरकारी विभागों तथा एजेंसियों से लेखा परीक्षक/परामर्शदाता के रूप में पैनल में शामिल करने के लिए ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' के लिए आवेदन प्राप्त होते रहे हैं। इन्हें पीडी पोर्टल पर डाला जाता है और साथ ही, सभी सदस्यों को भी आवधिक मेल के जरिए अवगत कराया जाता है।
- पीडी निदेशालय द्वारा डब्ल्यू आई आर सी और बड़ौदा चैप्टर के सहयोग से मई, 2018 में बडोदरा, गुजरात में राष्ट्रीय व्यावसायिक सम्मेलन, 2018 का आयोजन किया गया था, जिसके लिए काफी संख्या में व्यावसायिकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय व्यावसायिक सम्मेलन का मुख्य विषय ''उभरते व्यावसायिक अवसर : सीएमए की क्षमता निर्माण'' था।
- माननीय विधि एवं न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के समक्ष संस्थान के क्रियाकलापों और मंत्रालय के पास लंबित मामलों पर एक अभ्यावेदन दिया गया था। इस संबंध में उनके विचार के लिए अभ्यावेदन पत्र भी भेजे गए थे।
- सेबी ने आर टी ए, जारीकर्ता कंपनियों और बैंकर के लिए एक मामले पर दिशा–निर्देशों और उद्योग मानकों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में परिपत्र जारी किया। सभी आर टी ए को स्वतंत्र अर्हता प्राप्त लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा कंपनी सचिवों और प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षकों (सी आई एस ए) द्वारा वार्षिक आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा करानी अपेक्षित है।

- पीडी निदेशालय ने औद्योगिक नीति, 2017 तैयार करने के लिए चर्चा दस्तावेज पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सुझाव भेजे हैं।

➢ **सदस्यता विभाग**

सदस्यता – डिजीटलीकरण के लिए कदम

सदस्य सुविधाएं और सेवाएं समिति के मार्ग निर्देशन में और संस्थान के अध्यक्ष की सक्रिय अगुवाई में सदस्यता विभाग ने सदस्यों और भावी सदस्यों को उनकी आंतरिक जरूरतों के संदर्भ में एक प्रत्यक्ष परस्पर संवाद डैश बोर्ड प्रणाली कार्यान्वित करके, जिसे वास्तविक समय आधार पर अद्यतन करते हुए अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्यम की स्थापना की है। सदस्यता विभाग ने पहले ही वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 2353 नए शामिल सहयोगी सदस्यों और 491 नए एडवांस फैलो सदस्यों का पंजीयन करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। कई अन्य के लिए प्रक्रिया चल रही है। वित वर्ष 2017–18 के दौरान व्यवसाय का प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में भी उपलब्धि उल्लेखनीय रही है।

कुछ खास विशेषताओं के अलावा, जो पहले ही शुरू की जा चुकी है :

- सदस्यों द्वारा ऑनलाइन भुगतान करने में सुविधा प्रभारों/बैंक प्रभारों की माफी
- सदस्यों के लिए ई–मेल सुविधा शुरु करना

एक नई समय सीमा का प्रावधान भी शामिल किया गया है :

- सदस्यता संख्या के लिए जी एस टी संख्या को शामिल करने तथा उनकी संबंधित सदस्यता शुल्क रसीदों में इसका उल्लेख करने के लिए प्रावधान किया गया है।

https://cmaicmai.in/MMS/Login.aspx?mode=EU

➢ **अध्ययन निदेशालय**

अध्ययन निदेशालय के छात्र प्रशासन से जुड़े क्रियाकलाप और हितधारकों (अर्थात छात्रों/क्षेत्रीय परिषदों/चैप्टरों/सी एम ए एस सी) के साथ संपर्क का कार्य सौंपा गया है जबकि शैक्षणिक विभाग को गुणवत्तापरक सुधारों और कौशल विकास के उपायों के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है। ऐसे भी कई क्रियाकलाप हैं, जिनके लिए दोनों विभागों का संयुक्त योगदान था और प्रभावी रुप से पर्यवेक्षण किया गया था।

वर्ष 2017–18 में अध्ययन निदेशालय के निष्पादन की विशेषताएं :

1. विगत वर्ष के दौरान छात्रों की संख्या में वृद्धि 25.33% है (फाउंडेशन और इंटरमीडिएट स्तर के प्रवेश, दोनों पर विचार करते हुए)।
2. **गुणवत्ता सुधारों के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए किए गए पहल प्रयास :**
   - i. इंटरमीडिएट और फाइनल स्तर के लिए प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के लिए संशोधित अध्ययन सामग्रियां
   - ii. इंटरमीडिएट और फाइनल स्तर के लिए वर्क बुक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के अलावा)
   - iii. इंटरमीडिएट और फाइनल स्तरों के लिए संशोधित परीक्षा पत्र (आर टी पी)
   - iv. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और अंतिम स्तर के लिए मॉक टेस्ट पेपर (एम टी पी)
3. **छात्रों के लिए सहायक सेवा**
   - i. एस एम एस और मेल के माध्यम से छात्रों के साथ नियमित पत्राचार
   - ii. प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षाफल की घोषणा करने के पूर्व परीक्षा संबंधी आपेक्षाओं का पालन न करने के लिए छात्रों को एस एम एस
   - iii. जून, 2018 की अवधि के लिए पंजीकृत सभी छात्रों के लिए डिजीटल प्रिंटेड फोटो लेमिनेटेड छात्र पहचान पत्र का मुद्रण और वितरण
   - iv. देश भर में कैरियर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
4. **सामाजिक दायित्व**
   - i. इस पाठ्यक्रम को करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक पहल के रुप में संस्थान ने शुल्कों की वापसी अथवा माफी की एक योजना शुरु की है। यह लाभ आवेदन करने और निर्धारित शर्त को पूरा करने पर ही उपलब्ध है।
   - ii. आर्थिक रुप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए शुल्क माफी और छात्रवृत्ति उपलब्ध है। आर्थिक रुप से कमजोर मेधावी छात्रों की सहायता के लिए संस्थान के पास वित्तीय सहायता योजनाएं हैं।
5. अध्ययण सामग्रियों को भेजने में लागत प्रबंधन अनुप्रयोग

➢ **कर अनुसंधान विभाग (टीआरडी)/कराधान समिति**

क. <u>वेबिनार :</u>

विभाग द्वारा आयोजित वेबिनारों की संस्थान के सदस्यों द्वारा काफी सराहना की जाती है। सदस्यों के बीच नए करों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस फोरम की काफी सराहना की गई है और संस्थान से काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। संस्थान की वेबसाइट पर कराधान पोर्टल के तहत रिकार्ड की गई वेबिनार भी उपलब्ध है।

ख. <u>सेमीनार और कार्यशालाएं :</u>

चैप्टरों के सहयोग से विभाग द्वारा आयोजित समिनारों की सूची :

छोटे चैप्टरों को समय–समय पर विभिन्न सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु टी आर डी ने पहल शुरु की है और वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 8 सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

- ✓ राउरकेला चैप्टर के सहयोग से निदेशालय ने दिनांक 11 मार्च, 2018 को सदस्यों और छात्रों के लिए जी एस टी पर पूर्ण दिवसीय सत्र का आयोजन किया था।
- ✓ निदेशालय ने सेरमपोर चैप्टर के साथ दिनांक 11 मार्च, 2018 को उनके रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर जी एस टी पर छात्रों और सदस्यों के लिए सेमिनार का आयोजन किया था।
- ✓ कराधान अनुसंधान निदेशालय द्वारा दिनांक 9 और 10 मार्च, 2018 को बालासोर, ओडिसा में कार्यशाला में भागीदारों के रुप में हमारे सदस्यों के साथ एफ एम विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए वस्तु और सेवा कर शुरु करने के संबंध में राष्ट्रीय परस्पर चर्चा सेमिनार व कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- ✓ जी एस टी पर दिनांक 4 फरवरी, 2018 को राउरकेला में आयोजित बजट सेमिनार की प्रतिभागियों द्वारा सराहना की गई। जी एस टी – ई वे बिल रोड अहैड पर एक अन्य सेमिनार को प्रतिभागियों से अत्यंत सराहना प्राप्त हुई।
- ✓ छात्रों और सदस्यों के लिए जी एस टी सेमिनार विषय पर माह जनवरी और फरवरी, 2018 में साउथ ओडिसा में बजट सेमिनार का आयोजन किया गया।
- ✓ ''जी एस टी कार्यान्वयन और चुनौतियां'' विषय पर दिनांक 23 दिसंबर, 2017 को सिलीगुड़ी चैप्टर में सेमिनार सफलतापूर्वक पूरा किया।

ग. <u>जी एस टी परिषद को अभ्यावेदन</u>

संस्थान के कर अनुसंधान विभाग ने जी एस टी प्रणाली के तहत रिटर्न के संशोधन और सरलीकरण के लिए जी एस टी एन को विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

घ. <u>जी एस टी हैल्प डेस्क</u>

संस्थान ने जी एस टी में एक बाधारहित कार्य के लिए सभी हितधारकों के लिए पूरक सुविधा के रुप में एक नए डिजीटलयुक्त वातावरण में 'जी एस टी हैल्प डेस्क' शुरु की है।

ड. <u>टैक्स बुलेटिन</u>

अक्तूबर, 2017 में विभाग के लिए ''पखवाड़ा टैक्स बुलेटिन'' की शुरुआत करना एक अन्य विशेषता है।

च. <u>बजट पूर्व ज्ञापन</u>

विभाग ने वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व ज्ञापन 2018–19 प्रस्तुत किया है और बजट पूर्व ज्ञापन पर प्रस्तुति की है।

छ. <u>गैर–मुनाफाखोरी पुस्तिका</u>

विभाग ने गैर–मुनाफाखोरी पर मार्ग निर्देशन नोट शुरु किया है। यह पुस्तिका जी एस टी परिषद के सदस्यों और राष्ट्रीय गैर–मुनाफाखोरी प्राधिकरण जांच समिति के सभी सदस्यों को परिचालित की गई।

ज. <u>साधन संपन्न व्यक्तियों का योगदान</u>

कर अनुसंधान विभाग के पास एक साधन–संपन्न व्यक्तियों का समूह है जो लगातार सहायता प्रदान करता है और आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान, विशेषज्ञता को साझा करता है।

झ. <u>जी एस टी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम</u>

उन्नत अध्ययन बोर्ड के सहयोग से कर अनुसंधान विभाग ने समूचे भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम से जी एस टी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पहला बैच सफलतापूर्वक पूरा किया ।

➢ **आंतरिक नियंत्रण विभाग**

- विभाग ने आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा के दायरे सहित इच्छा की अभिव्यक्ति तैयार की है और तीन क्षेत्रीय परिषदों और 25 लाख रु. से अधिक के कारोबार वाले 9 चैप्टरों के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है।
- वित्त वर्ष 2017–18 के लिए प्रबंधन के उत्तर सहित 3 क्षेत्रों और 9 चैप्टरों की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संकलन किया ।
- निविदा दिशा–निर्देशों, डी ओ पी और जी एफ आर के तहत विभिन्न विभागों से तैयार विभिन्न खरीद प्रस्तावों की जांच की गई ।

आंतरिक लेखा परीक्षा परिणामों और मामले के समाधान के लिए परामर्शी उपायों के बारे में संगत विभागों के साथ–साथ मुख्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ भी विचार–विमर्श किया गया ।

➢ **सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**

संस्थान ने न केवल क्षमता में सुधार लाने और हितधारकों को सेवा प्रदान करने के लिए बल्कि हितधारकों के साथ बातचीत बढ़ाने के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया।

अध्ययन तक पहुंच : सदस्यों और छात्रों के लिए एक ऑनलाइन हैल्पलाइन शुरु की गई थी ताकि छात्र और सदस्य संबंधित सेवा विभागों तक प्रभावी रुप से पहुंच सकें जिससे छात्रों/सदस्यों की समस्याओं का हल निकालने के लिए अपेक्षित समय में कमी आएगी।

डाटा डेश बोर्ड : विभिन्न विभागों के डाटाबेश को जोड़ने और उनके काम में मदद करने वाले संबंधित कार्मिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन डाटा डेश बोर्ड विकसित किया गया।

अनुसंधान सर्वेक्षण : इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने और सर्वे करने के लिए फार्म तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों की सहायता की गई ।

वेबिनार : सदस्यों और छात्रों, दोनों के हित के विभिन्न विषयों पर वेबिनार का आयोजन करने के लिए विभिन्न विभागों और समितियों को सहायता प्रदान की गई।

उन्नत अध्ययन पोर्टल : अनेक ऐसे पाठ्यक्रम शुरु करने में उन्नत अध्ययनों में सहायता की, जो वीडियो लैक्चर और वेबिनार सहित विषय सामग्री और लैक्चर प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करते हैं। एक पुनः डिजाइन किया गया पोर्टल शुरु किया गया था, जिससे छात्रों को लॉगिन सुविधा प्रदान करता है और पाठ्यक्रम के प्रबंधन में सहायता प्रदान की जाती है।

आयोजन पोर्टल और वेबकास्ट : आंतरिक टीम ने प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया और इन आयोजनों के सीधे वेबसाइट के लिए भी व्यवस्था की गई ताकि छात्र और सदस्य, जो ऐसे आयोजकों में नहीं जा सके, वे आयोजनों का सीधा प्रसारण देख सकें। ऐसे कुछ आयोजनों का सीधा प्रसारण इस प्रकार था :

- राष्ट्रीय लागत सम्मेलन, 2018
- अंतराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, 2018
- छात्र दीक्षांत समारोह, 2018
- प्लेटिनम जुबली समारोह, 2018

एच आर आई एस : मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एच आर आई एस) का आगे विस्तार किया गया ताकि कर्मचारियों के संबंध में अनेक एच आर और प्रशासन संबंधी कार्यों तथा संस्थान द्वारा की गई भर्तियों का स्वचलन हो सके।

सदस्यों के लिए पे टी एम सुविधा : सदस्यों को पे टी एम का उपयोग करके उनका वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई।

➢ वर्ष 2017–18 के दौरान भारतीय प्रतियोगिता आयोग के साथ क्रियाकलापों पर रिपोर्ट

संस्थान को प्रतियोगिता संबंधी मामलों पर प्रतियोगिता सलाह देने, जन जागरूकता लाने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय प्रतियोगिता आयोग के साथ सहयोग करने पर खुशी है। हम 'क्षमता निर्माण' कार्य के द्वारा अपने व्यावसायिकों तक पहुंचने के लिए इस अवसर का लाभ उठाते हैं।

➢ आंतरिक शिकायत समिति

जैसा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत परिकल्पना की गई है, दिनांक 1.1.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के लिए संस्थान की आंतरिक समिति की वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार है :

वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक) प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक) निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2
90 दिनों से अधिक तक लंबित मामलों की संख्या	शून्य
यौन उत्पीड़न (1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक) के संबंध में कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	शून्य

➢ अनुशासनिक निदेशालय

1. लागत और कार्य (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21 क तहत अनुशासन बोर्ड
2. लागत और कार्य (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21 ख तहत अनुशासनिक समिति

➢ उन्नत अध्ययन

संस्थान ने उन्नत अध्ययन निदेशालय की स्थापना की है, ताकि वित्त और अन्य संगत विषयों सहित लागत और प्रबंधन लेखांकन के विभिन्न क्षेत्रों पर उन्नत ज्ञान और विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

पाठ्यक्रमों के बारे में

01. कारोबारी मूल्यांकन में कार्यकारी डिप्लोमा
02. इंजीनियरों के लिए लागत एवं प्रबंधन लेखांकन में कार्यकारी डिप्लोमा
03. आर्बिट्रेशन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
04. वस्तु और सेवा कर (जी एस टी) में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

➢ जर्नल और प्रकाशन

तिमाही ''रिसर्च बुलेटिन'' और मासिक ''द मैनेजमेंट अकाउंटेंट'' जर्नल का नियमित प्रकाशन

एन सी सी के लिए स्मारिका – 2018

जर्नल और प्रकाशन निदेशालय ने मार्च, 2018 में नई दिल्ली में आयोजित 58वें राष्ट्रीय लागत सम्मेलन के लिए स्मारिका तैयार की। इसकी प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा काफी सराहना की गई।

जर्नल के पाठकों में वृद्धि

प्रबंधन लेखाकार जर्नल अब समूचे विश्व के 92 देशों में उपलब्ध है और हम विश्व के अन्य भागों में इसकी वृद्धि करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

एप्स की उपलब्धता

प्रबंधन लेखाकार जर्नल अब अन्य पक्षकारों अर्थात मैग्जटर और रीडव्हेयर के माध्यम से पढ़ने के लिए एप्स पर उपलब्ध हैं और हम अन्य मंचों पर मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सूचीबद्ध करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

आत्मनिर्भरता के आधार पर मुद्रित हार्ड कॉपी

प्रबंधन लेखाकार जर्नल अब उच्च गुणवत्ता के ग्लोसी पेपर प्रिंटेड हार्ड कॉपी में उपलब्ध है और संस्थान के सभी सदस्यों, यूजीसी से अनुमोदित विश्व विद्यालयों तथा कॉलेजों में वितरित किए गए हैं। यह जर्नल सभी प्रतिष्ठित हस्तियों और मंत्रालयों को भी वितरित किया जाता है। हमें पाठकों, मुख्यतः विश्व के अन्य भागों से भारी मात्रा में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

रिसर्च बुलेटिन – संस्थान का ध्यानपूर्वक समीक्षा किया गया तिमाही जर्नल

रिसर्च बुलेटिन खंड 43, सं. II, जुलाई, 2017, विषय रहित अंक प्रकाशित, खंड – 43 सं. III, अक्तूबर, 2017 का विषय एडवांस्ड फाइनेंसियल मैनेजमेंट था; खंड 43, सं. IV, जनवरी, 2018 अंक पुनः बिना विषय का था, खंड 44 संख्या I, बिना विषय का अंक शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा।

➢ **प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और काउंसलिंग**

- प्लेसमेंट निदेशालय उद्योग की जरुरतों के अनुसार छात्रों को तैयार करने के लिए कारपोरेट सेक्टर के साथ गहन कार्य करता है। संस्थान का प्लेसमेंट सेल सभी सीएमए छात्रों को 100% प्लेसमेंट सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है, और उन्हें प्लेसमेंट पूर्व अवस्था में सहायता मार्ग निर्देश और मदद प्रदान करता है, जो कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलने में काफी मददगार होता है।
- संस्थान ने अखिल भारतीय आधार पर जून, 2017 अवधि परीक्षा में अर्हता प्राप्त सीएमए के लिए कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम आयोजित किया और करीब 170 सीएमए को कैंपस प्लेसमेंट दिया गया।
- दिसंबर, 2017 अवधि के अर्हता प्राप्त सीएमए के लिए सीएमए कैंपस प्लेसमेंट अभियान देश भर में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- माह अप्रैल–मई, 2018 के दौरान अखिल भारतीय प्लेसमेंट ड्राइव के आधार पर 250 नवोदित सीएमए को विभिन्न नई कंपनियों में प्लेसमेंट दिया गया।
- इस वर्ष संस्थान ने अर्हता प्राप्त सी एम ए को अच्छी नौकरी के अवसर प्रदान करने में सुविधा के लिए पहली बार अखिल भारतीय आधार पर ग्रीष्मकालीन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कार्यक्रम आयोजित किया।

➢ **लेखांकन तकनीशियन में प्रमाण पत्र (सी ए टी)**

वर्ष 2008 में रोजगार अभिमुखी पाठ्यक्रम के रुप में 12वीं (10+2) पास और पूर्व स्नातकों के लिए लेखांकन तकनीशियन में प्रमाण पत्र (सी ए टी) पाठ्यक्रम शुरु किया गया था ताकि युवाओं के बीच रोजगार के योग्य कौशल विकसित करने में देश के समक्ष आ रही भारी चुनौती का सामना किया जा सके क्योंकि युवाओं के पास मौजूद कौशलों और देश के लिए अपेक्षित कौशलों के बीच भारी अंतर है। इस भारी चुनौती को देखते हुए कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने युवाओं के बीच रोजगार के योग्य कौशलों पर ध्यान देना शुरु कर दिया है। संस्थान ने देश के ऐसे क्षेत्रों, जहां तक पहुंच नहीं हो पाई है, के लिए लेखांकन तकनीशियन में प्रमाण पत्र (सी ए टी) पाठ्यक्रम शुरु करके लेखांकन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में युवाओं के बीच कौशलों का विकास करने में ठोस और नवीन उपाय किए हैं।

यह पाठ्यक्रम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से शुरु किया गया है। लेखांकन तकनीशियन में प्रमाण पत्र (सी ए टी) प्राप्त छात्रों को लेखाओं के रख–रखाव, कर विवरणी तैयार करने, कंपनी अधिनियम के तहत विवरणी दाखिल करने, आयकर अधिनियम के तहत विवरणी भरने, जी एस टी, सीमा शुल्क अधिनियम, निर्यात एवं आयात संबंधी दस्तावेज इत्यादि के संबंध में जानकारी हो जाती है।

हम निम्नलिखित एजेंडा के लिए प्रतिबद्ध हैं :

- अन्य राज्यों में लेखांकन तकनीशियन में प्रमाण पत्र (सी ए टी) पाठ्यक्रम का विस्तार
- सी ए टी पाठ्यक्रमों की विषय–वस्तु में सुधार और निरंतर निगरानी करना
- सी ए टी छात्रों के लिए प्लेसमेंट के अवसरों में सुधार लाना
- जहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पहुंचना

➢ **सचिवालय विभाग**

- सचिवालय विभाग को विभिन्न विभागों/निदेशालयों, विभागों के अध्यक्ष, समिति सचिवों के बीच समन्वय के साथ–साथ क्षेत्रों और चैप्टरों के साथ चुनावों, बैठकों आदि के अयोजन, विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों तथा प्राधिकरणों के साथ निर्यातक रुप से संपर्क बनाए रखने से संबंधित क्रियाकलाप सौंपे गए हैं।
- सदस्यता अभियान से संबंधित कार्य।
- लागत सम्मेलन, वैश्विक शिखर सम्मेलन, पुस्तक मेले, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, छात्र दीक्षांत समारोह इत्यादि से संबंधित कार्य, जब भी जरुरत हो।
- आर टी आई और अनुशासन संबंधी मामलों और उनके उत्तर देना।
- विभिन्न विभागों/निदेशालयों से प्राप्त एम आई एस को समेकित करना ।

➢ **परीक्षा निदेशालय**

परीक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित परीक्षाओं का सार नीचे दिया गया है। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए जून और दिसंबर माह में अर्थात वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित की गई। जून, 2017 और दिसंबर, 2017 में 3 विदेशी केंद्रों सहित 117 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। 3 विदेशी केंद्रों सहित कुल 117 परीक्षा केंद्र थे। जून, 2017 अवधि में कुल 47,865 परीक्षार्थी थे और दिसंबर, 2017 में परीक्षा में 50,241 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा संबंधित की सक्रिय सहायता से सभी परीक्षाओं के परिणाम निर्धारित समय अवधि के अनुसार और मानकों का पालन करते हुए सुचारु रुप से प्रकाशित किए गए। जून, 2017 और दिसंबर, 2017, दोनों अवधियों की परीक्षा के लिए अंकों के सत्यापन का परिणाम संस्थान की वेबसाइट (www.icmai.in) पर डाले गए।

➢ **तकनीकी निदेशालय की कियाकलाप रिपोर्ट**

- **लागत लेखांकन मानक बोर्ड**

बोर्ड ने देश में जी एस टी के कार्यान्वयन को देखते हुए सी ए एस–4 में संशोधन किया। इस मामले के संबंध में बोर्ड ने एक छोटा समूह गठित किया ताकि बोर्ड की बैठक में चर्चा करने के लिए संशोधित सी ए एस – 4 के प्रारुप को अंतिम रुप दिया जा सके। बोर्ड ने सी ए एस बी की बैठक में प्रारुप पर चर्चा की और प्रारुप को अंतिम रुप देने के लिए विचार–विमर्श अभी चल रहा है।

- **लागत लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड**

सरकार द्वारा अनुमोदित 4 एस सी ए के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) तैयार करने का निर्णय लिया और इसके लिए सदस्यों के बीच लागत लेखा परीक्षा के संबंध में मानकों पर बुनियादी जागरूकता कार्यक्रम लाने का भी निर्णय लिया है।

- **लागत लेखा परीक्षा, अनुपालन और अन्य के संबंध में तकनीकी प्रकोष्ट**

तकनीकी प्रकोष्ट ने लागत रिकार्ड, लागत लेखा परीक्षा और लागत नियमों के संबंध में सदस्यों के प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा की और उन्हें अंतिम रुप दिया।

- **अन्य महत्वपूर्ण कार्य**

तकनीकी विभाग ने कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियमावली, 2017 का विस्तृत विश्लेषण तैयार किया और उसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

➢ विधि विभाग

विधि विभाग के क्रियाकलाप (2017–18)

संस्थान का विधि विभाग संस्थान के विभिन्न निदेशालयों और विभागों की कानूनी सहायता की जरुरत पड़ने पर सुविधा प्रदान करता है। वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान विभाग के प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

1. वकीलों के साथ संपर्क/समन्वयन
2. अखिल भारतीय आधार पर पैनलबद्ध वकील
3. समझौता ज्ञापन और विभिन्न करारों का प्रारुप तैयार करना
4. संपत्ति से संबंधित मामलों में चैप्टरों और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना
5. निविदा की निबंधन एवं शर्तों की पुनरीक्षा करना
6. विवाद होने पर भेजे जाने वाले उत्तरों का प्रारुप तैयार करना/पुनरीक्षा करना ।
7. कारपोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य प्राधिकरणों के साथ संपर्क स्थापित करने/बातचीत करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों की सहायता करना ।

➢ अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग

दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एस ए एफ ए)

सी एम ए डॉ. पी वी एस जगन मोहन राव, केंद्रीय परिषद सदस्य को दिनांक 20 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई संस्थान की परिषद बैठक में सार्क के एक शीर्ष निकाय दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एस ए एफ ए) के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है और दिनांक 1 जनवरी, 2018 से प्रभार ग्रहण कर लिया है।

वर्ष के दौरान विभाग ने दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एस ए एफ ए) की बैठकों का समन्वयन किया और उन्होंने एस ए एफ ए सदस्य निकायों द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलनों में भी भाग लिया।

एशियाई और प्रशांत लेखाकार संघ (सी ए पी ए)

विभाग ने वर्ष के दौरान एशियाई और प्रशांत लेखाकार संघ (सी ए पी ए) की बैठकों का समन्वयन किया जिनमें संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ (आई एफ ए सी)

विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ (आई एफ ए सी) की बैठकों में समन्वयन किया और परिषद के सदस्यों के लिए संस्थान का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था की गई।

- अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ (आई एफ ए सी) ने बेल्जियम में दिनांक 15–16 नवंबर, 2017 के दौरान इसकी सामान्य परिषद बैठक आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों और स्थायित्व समिति के अध्यक्ष ने इस बैठक और आयोजन में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।
- परिषद के सदस्य जो आई ए एफ सी कारोबार में व्यावसायिक लेखाकारों (पी ए आई बी) की समिति के भी सदस्य हैं, के साथ उसके परिषद सहयोगियों ने तकनीकी सलाहकार के रुप में न्यूयार्क में 27 और 28 मार्च, 2018 को आयोजित समिति की बैठक में भाग लिया।

➢ अध्यक्ष का कार्यालय

दिल्ली और कोलकाता स्थित अध्यक्ष का कार्यालय संस्थान के अध्यक्ष की ओर से संस्थान के विभागों और बाह्य एजेंसियों के साथ विभिन्न क्रियाकलापों का समन्वयन करने में सहायता प्रदान करता है। यह क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रुप से शामिल नहीं होता लेकिन अप्रत्यक्ष रुप से समन्वयन में आसानी के लिए अध्यक्ष कार्यालय ने कई कार्य किए हैं। विभाग ने परिषद सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों तथा संस्थान के उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्य, जॉब भी पूरे किए हैं। कुछ प्रमुख पहल–प्रयास इस प्रकार हैं :

- **58 वां लागत सम्मेलन**
- **आईईसी बैठकों के लिए समन्वयन**
- **मंत्रालयों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ पत्राचार**
- **अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को तकनीकी सहायता**
- **संस्थान के सभी प्रमुख आयोजनों के लिए सहायता**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''संस्थान'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें संस्थान की परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना, जिसमें कुल 169.03 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां तथा कुल 58.09 करोड़ रुपए का राजस्व (अंतर–क्षेत्रीय/चैप्टर लेन–देनों) दर्शाते हुए मुख्यालय के लेखा शामिल है। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 9.76 करोड़ रूपए का कुल राजस्व तथा 38.45 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां दर्शाते हुए 4 क्षेत्रीय परिषदों यथा उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी), पूर्व भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी), पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यूआईआरसी) और दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद (एसआईआरसी) के लेखापरीक्षित लेखों को भी समाविष्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण में 7 चैप्टरों के लेखों, जो लेखा परीक्षकों द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, सहित 92 चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनमें समन्वित क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के शासी निकायों द्वारा संस्थान के चैप्टरों कानूनों के खंड 26 और आईसीडब्ल्यूए विनिमय 1959 के विनियम 133 के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 95.21 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां और 20.56 करोड़ रुपए का राजस्व (प्रतिपूर्ति सहित) दर्शाया गया है, जिनकी रिपोर्ट संस्थान के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है। 7 चैप्टरों पर 4.05 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां और 1.17 करोड़ रुपए का राजस्व दर्शाते हुए हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में 3 चैप्टरों के लेखा परीक्षित लेखे शामिल नहीं हैं जिनके लिए लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार नवीनतम लेखा परीक्षित लेखों के संबंध में तुलन पत्र के आंकड़े शामिल किए गए हैं–

क्रम सं.	चैप्टर का नाम	अंतिम लेखा परीक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2017–18 में समेकन के प्रयोजन से शामिल हैं
1	जबलपुर चैप्टर	वर्ष 2015–16*
2	गाजियाबाद चैप्टर	वर्ष 2013–14
3	भद्रावती–सिमोगा चैप्टर	वर्ष 2015–16

* चैप्टर द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व दो वर्षों में कोई वित्तीय लेन–देन नहीं है। संस्थान के 2017–18 के समेकित वित्तीय विवरणों में 85 लेखा परीक्षित चैप्टर शामिल हैं जिनमें से 26 चैप्टरों की लेखा परीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की गई है और उन सब चैप्टरों के लेखा परीक्षा लागत लेखाकारों द्वारा की गई है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

संस्थान का प्रबंधन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेवार है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृष्टिकोण बताते हैं। इस जिम्मेवारी में संस्थान की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रख–रखाव तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा उनका पता लगाना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेना और आंकलन करना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन तथा रख–रखाव, जो सही एवं उचित दृष्टिकोण बताने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुती से संगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे और वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, शामिल हैं।

3. लेखा परीक्षक की जिम्मेवारी

3.1 हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलतबयानी से मुक्त हैं, नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और लेखा परीक्षा की योजना बनाकर उसे संपन्न करते हैं।

3.2 किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि एवं प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में वास्तविक गलतबयानी के जोखिम के निर्धारण सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए संस्थान के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करने के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है। किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों के औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता एवं वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह संस्थान के वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे योग्य लेखा परीक्षा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

4. <u>मामला पैराग्राफ का जोर</u>

हम हमारे द्वारा जोर दिए जाने के लिए अपेक्षित संस्थान के वित्तीय विवरण के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारा मत इन मामलों के संबंध में योग्य नहीं है:

1. 6 अक्तूबर, 2015 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में दिए गए निर्णय के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की उत्तर भारतीय क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) के मामले में और क्रमशः 22.11.2015, 27.11.2015 और 25.05.2016 को आयोजित क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में, जिसकी पुष्टि की गई, वर्ष 2014–15 के लिए तत्कालीन अध्यक्ष पर 41.44 लाख रुपए की राशि का एक डेबिट नोट दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद ने अपनी 31.05.2017 की बैठक में 41.44 लाख रुपए और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज (3.31 लाख रुपए) की राशि कुल 44.75 लाख रुपए वर्ष 2014–15 के लिए तत्कालीन अध्यक्ष से वसूल किए जाने योग्य होने वाली राशि उस तारीख से लेने के लिए वसूली दावा दायर करने का निर्णय लिया, जिसे राजस्व लेखे में बुक नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी वसूलियों के लिए दावा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है और निर्णय लंबित है।
   उपर्युक्त ऋणों सहित एनआईआरसी लेखों में इसे शामिल करना पहले उल्लिखित माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका के अध्यधीन हैं।
2. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) के मामले में 1,55,130/– रुपए की बकाया कर मांग है। चूंकि, एनआईआरसी आय कर अधिकारियों के साथ मामला उठा रहा है, अतः दंडात्मक ब्याज, जो देय हो सकता है, के संबंध में बहियों में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि एनआईआरसी का यह मत है कि ऐसी मांगें वैध नहीं हो सकतीं क्योंकि उनमें संशोधन और आय कर विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यद्यपि, बकाया मांग के लिए प्रावधान/समायोजन लेखा बहियों में किए गए हैं।
3. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, 1,15,10,266/– रुपए की राशि का जीएसटी इनपुट ऋण का शेष आय एवं व्यय खाते में लगाया गया है।
4. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) के मामले में शिकायत संख्या कॉम/21–सीडब्ल्यूए(9) 2010 में अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी 27 मई, 2015 के आदेश द्वारा लागत एवं कर लेखाकार (व्यावसायिक एवं अन्य कदाचार तथा मामलों के आचार की जांच की प्रक्रिया) नियमावली, 2007 के नियम 19(1) के साथ पठित सीडब्ल्यूए अधिनियम, 1959 की धारा 231ख(3) के अनुसार सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश लगाए गए थे:
   - "सदस्य की प्रताड़ना
   - आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर दी जाने वाली संस्थान के ईआईआरसी को 64,461/– रुपए की पूरी राशि तथा जुर्माने की समतुल्य राशि का पुनर्भुगतान
   - आदेश देने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्य का रजिस्टर से नाम हटाना"
5. तद्नुसार, 1,22,922/– रुपए संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने थे। भारत के लागत एवं लेखाकार संस्थान के अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई थी और उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम की धारा 22(ङ) की उप धारा (2) के खंड (ग) के तहत इस उपर्युक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 09/04/18 के द्वारा उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने उन निर्देशों के पूरा होने तक संस्थान की अनुशासनिक समिति द्वारा जारी अनुचित आदेश के प्रचालन को स्थगित कर दिया है जिनके लिए मामला आदेश दिनांक 09/04/2018 के पैरा (12) के तहत उल्लिखित प्रयोजन के लिए और नया आदेश जारी करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु भारत के लागत लेखाकार संस्थान की अनुशासनिक समिति को भेजा जा रहा है।

4. <u>योग्य मत का आधार</u>

1. 7 चैप्टरों और 1 क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित 57.73 लाख रूपए मूल्य के फ्रीहोल्ड तथा पट्टे वाली भूमि और भवनों के संबंध में कोई हस्तांतरण विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।
   10 चेप्टरों और 3 क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में संस्थान के नाम पर फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि तथा भवन के 107.99 लाख रूपए मूल्य के मूल हस्तातंरण विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए।
   183.4 लाख रूपए मूल्य की 14 संपत्तियों के विलेख कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स रेगुलेशन, 1959 के विनियम 85(1)(ई) एवं 99(एफ) के उल्लंघन में अभी भी चेप्टरों के नाम पर हैं जिसमें 172.08 लाख रू0 मूल्य की 12 संपत्तियां शामिल हैं, जिनके लिए मूल हस्तांतरण विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए।
2. कम नोट की गई यूनिटों से संबंधित भूमि एवं भवन की मूल 'टाइटल डीड' संस्थान के प्रबंधन के पास नहीं थी क्योंकि वह उनः हस्तगत नहीं की गई है। इसके ब्यौरे इस रिपोर्ट के 'परिशिष्ट–क' के रूप में संलग्न हैं। अतः हम संस्थान द्वारा धारित वास्तविक रूप से भूमि एवं भवन की टाइटल के स्तर के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
3. इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ने संपत्ति के अधिग्रहण से इंदौर संस्थान चैप्टर के नाम पर कोई संपत्ति कर बिल नहीं दिया है। इसके परिणामस्वरूप चैप्टर के बहीखातों में कोई भुगतान/प्रावधान नहीं माना गया है। यह 2005–06 से 2017–2018 तक 1,74,859/– रुपए की राशि का है।

चूंकि, प्रश्नगत संपत्ति नगरीय कर के अधीन है, अतः लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के मद्देनजर उपर्युक्त संपत्ति पर नगरीय कर के लिए प्रावधान उसके अधिग्रहण से ही चैप्टर के बहीखातों में माना जाना चाहिए। अतः हम वर्तमान लेखा एवं चैप्टरों में पड़े उपर्युक्त शेष की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. आरसी और चैप्टरों में चालू खातों के अंतर्गत दर्शाई गई 404.08 लाख रुपए की राशि के विरुद्ध क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
5. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) के मामले में 1,60,44,103/– रुपए की पूंजीगत डब्ल्यूआईपी 2014–15 से तुलन पत्र में दर्शाई गई है। यद्यपि, उपर्युक्त मदें वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पहले ही प्रयोग में रखी गई थीं, इस अभिवृद्धि पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है। इससे राजस्व व्यय कम हुआ है और अचल परिसंपत्तियां अधिक हैं जिसकी मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।
6. संस्थान ने भुगतान के आधार पर अवकाश नकदीकरण का हिसाब लगाया है। लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के अनुसार अवकाश नकदीकरण का प्रावधान प्रत्येक वर्ष के लिए माना जाना चाहिए था जो 31 मार्च, 2018 तक नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, उस समाप्त वर्ष के लिए संस्थान के अधिशेष का विवरण अधिक हुआ है।
7. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) और भारतीय स्टेट बैंक, हरीश मुखर्जी रोड शाखा, कोलकाता–700025 के बीच 31 दिसंबर, 2012 को अपार्टमेंट के लीज करार की समाप्ति और 31 मार्च, 2018 तक उसका नवीनीकरण न किए जाने के फलस्वरूप पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद को न तो 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक भारतीय स्टेट बैंक से कोई किराया प्राप्त हुआ और न ही भारतीय स्टेट बैंक की उपर्युक्त शाखा ने उपर्युक्त संपत्ति को खाली किया। इसके परिणामस्वरूप, 01 जनवरी, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए से 31 मार्च, 2018 तक के लिए राजस्व की हानि है।
8. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) के मामले में 10,74,311/– रुपए के विभिन्न ऋण पिछले तीन वर्षों से समायोजित नहीं किए गए/वसूल नहीं किए गए हैं जो कि पुनर्समाधान एवं पुष्टि के अध्यधीन हैं। संस्थान ने इन ऋणदाताओं के विरुद्ध बुरे एवं संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। अतः हम उन ऋणदाताओं के शेष की वसूली के संबंध में और संस्थान के वित्तीय विवरण पर उसके परिणामी प्रभाव के संबंध में कुछ सुनिश्चित करने अथवा टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।
9. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) के मामले में 13,10,101/– रुपए की राशि के अन्य अग्रिम पिछले तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए समायोजित नहीं किए गए/वसूल नहीं किए गए हैं। संस्थान ने समायोजित न किए गए/वसूल न किए गए अग्रिमों के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया है। उपर्युक्त के मद्देनजर हम इन अन्य अग्रिम शेष की शुद्धता तथा वसूली और संस्थान के वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव के संबंध में टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।
10. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद (एसआईआरसी) के कोचीन चैप्टर द्वारा चलिकावट्टम, ग्रामीण व्यायनशाला रोड, विटिला, एर्नाकुलम में भवन के निर्माण के लिए दी गई कार्य संविदा के मामले में, अवार्ड देने वाला उस कार्य संविदा के लिए कर की कटौती (डब्ल्यूसीटी) के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसमें सामग्री की आपूर्ति और श्रम, दोनों शामिल होते हैं। कोचीन चैप्टर जब तक संबंधित संविदाकारों से प्रपत्र सं. 1ईई में प्रमाण–पत्र प्राप्त न किया जाए, उनको भुगतान करने से पूर्व उनसे कार्य संविदा कर की कटौती करने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। 64,11,743 रुपए की राशि की कर संविदाओं के मामले में प्रपत्र संख्या 1ईई प्राप्त नहीं किया गया है। उपर्युक्त पर कार्य संविदा कर की देनदारी 5,13,000/– रूपए + ब्याज की होगी। इस चैप्टर में डब्ल्यूसीटी पंजीकरण नहीं दिया है, जैसा कि सभी संविदाकार कर विभाग में पंजीकृत होते हैं और प्रपत्र 1ईई प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।
11. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद (एसआईआरसी) के कोचीन चैप्टर का भूमि कर का भुगतान 1992 में भूमि की खरीद के वर्ष से लंबित है।
12. संस्थान अपनी मालसूची में 2012 से 38,73,847/– रुपए की राशि के सिलेबस और कॉम्पैक्ट डिस्क का पुराना स्टॉक लिए हुए है। चूंकि, उपर्युक्त सामान अब प्रयोग करने योग्य नहीं है, अतः उसे 'आय एवं व्यय लेखा' के माध्यम से बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए था।
13. यह पाया गया है कि परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्र को किए गए अग्रिम भुगतान के मामले में संस्थान आय एवं व्यय खाते के माध्यम से उन अग्रिमों को चार्ज करने की परिपाटी अपनाता है। आय एवं व्यय खाते के माध्यम से अग्रिमों का भुगतान करने से यूनिट का व्यय अधिक दर्शाया गया है।

    यह भी पाया गया है कि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194ग के तहत उस अग्रिम के भुगतान से टीडीएस नहीं काटा गया है।
14. दिल्ली (मुख्यालय) के 3,31,677/– रुपए की राशि के विविध ऋण पिछले तीन वर्षों से समायोजित नहीं किए गए हैं/वसूल नहीं किए गए हैं जो पुनर्समाधान और पुष्टि के अध्यधीन हैं। संस्थान ने इन ऋणों के विरुद्ध बुरे तथा संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।
15. आईसीएआई के पटना चैप्टर के लिए नया परिसर लेने हेतु 2013 में मैसर्स नैग्री बिल्डर एंड डेवलेपर्स प्रा. लि. को 1,25,00,000/– रुपए का अग्रिम दिया गया था, जो पूंजीगत डब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शाया गया था। 31 मार्च, 2018 तक इस प्रकार के कोई परिसर अधिग्रहित नहीं किए गए हैं। तथापि, 01.03.2018–31.03.2018 के लिए दिनांक 5.5.2018 को 5,00,000/– रुपए (आरडीबी समरी रिपोर्ट (अन्य)) वापस किए गए थे और शेष 1,20,00,000/– रुपए जेवी/पटना डब्ल्यूआईपी/17–18 दिनांक 31.03.2018 द्वारा 'पटना भूमि के लिए अग्रिम' में अंतरित किए गए थे।
16. इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यूआईआरसी) के मामले में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वसूल किए जाने वाले दावों और सस्पेंस दावों (क्रेडिट) लेखों में कुछ समाधान न किए गए शेष हैं। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

लेखा शीर्ष	राशि (रुपए)
प्राप्य दावे	21,58,741 डेबिट
वास्तुकार से प्राप्य दावे	67,30,000 डेबिट
सस्पेंस दावे (2013–2014):	20,77,565 क्रेडिट
सस्पेंस दावे (2014–2015):	81,176 क्रेडिट
सस्पेंस दावे – वास्तकार:	67,30,000 क्रेडिट

उन बकाया शेष की पुष्टि न किए जाने के मद्देनजर, हम उन शेष राशि की परिशुद्धता और संस्थान के वित्तीय विवरण पर उसके परिणामी प्रभाव के संबंध में सुनिश्चित करने तथा टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

प्रबंधन ने 31 जुलाई, 2015 को हुई अपनी 294वीं परिषद बैठक में यह मत दिया था कि ये प्राप्य लेखे पूर्णतः वसूली योग्य हैं।

17. संस्थान की पूरी आय में से केवल सदस्यता शुल्क, उन्नत अधीन और एनसीसी जीएसटी के अधीन हैं, अतः आनुपातिक इनपुट जीएसटी आउटपुट कर निर्धारित करते समय प्राप्त किया जाना है, परंतु 2017–18 में पूरा आउटपुट उपलब्ध इनपुट के विरुद्ध रखा गया है। इस इनपुट को ठीक करने के लिए 49,48,660/– रुपए की राशि का क्रेडिट वापस किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 49,48,660/– रुपए और संबंधित ब्याज की राशि के जीएसटी का कम भुगतान हुआ है।

18. चैप्टर के उप नियमों के खंड 18 के अनुसार चैप्टर की प्रबंधन समिति वार्षिक आम बैठक में चैप्टरों के लेखा परीक्षित लेखों को स्वीकार करेगी। तथापि, निम्नलिखित पांच चैप्टरों के लिए उनकी वार्षिक आम बैठक में स्वीकार न किए गए लेखों के माध्यम से समेकन के लिए विचार किया जाता है।

क. आगरा मथुरा,
ख. बोकारो
ग. नया नांगल
घ. जयपुर क्योंझर
ङ. जमशेदपुर

योग्य राय :

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणों के ''योग्य मत पैराग्राफ के लिए आधार'' में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, अपेक्षित तरीके से सूचना प्रदान करते हैं और 31 मार्च, 2018 एवं उसके अधिशेष तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकद प्रवाह की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यों की स्थिति के इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

उपर्युक्त के अध्यधीन हम रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार कुछ छोटे चैप्टरों के मामलों को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में कानूनन अपेक्षित समुचित लेखा बहियां दि इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट है (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से क्षेत्रों और जिन चैप्टरों का हमने दौरा नहीं किया है, वहां से समुचित रिटर्न प्राप्त हो गए हैं, जब तक कि उपरोक्त पैरा 1 में अन्यथा न कहा जाए)

(ग) संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित, संस्थान के क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट जैसा हमें प्राप्त हुई थी, इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित विचार किया गया है।

(घ) उपरोक्त पैरा में हमारे मत के लिए आधार में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन हम रिपोर्ट देते हैं किं तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण क्षेत्रों व जिन चैप्टरों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त लेखा बहियों और रिटर्न के अनुसार है।

कृते बी एम चत्रथ एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 301011ई/ई00025

तारीखः 29.09.2018
स्थानः कोलकाता

सीए संजय सरकार
भागीदार
सदस्यता संख्याः 064305

परिशिष्ट–क

क्रम सं.	नाम	डीड की स्थिति	विवरण
फ्रीहोल्ड भूमि और भवन			
1	अहमदाबाद (फ्लैट सं. 303)	कोई डीड नहीं	कोई डीड नहीं
2	बड़ौदा (फोनिक्स कॉम्प्लेक्स)	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत और संस्थान के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
3	भोपाल	कोई डीड नहीं	बिक्री करार की फोटोप्रति। चैप्टर के नाम पर पंजीकृत और चैप्टर के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित
4	कल्याण – अमरनाथ (फ्रीहोल्ड भूमि 2007–08)	कोई डीड नहीं	कोई डीड नहीं
5	नासिक ओझर (फ्लैट 308, 309, 310)	फोटोप्रति	चैप्टर के नाम पर पंजीकृत और संस्थान के वरिष्ठ निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित
6	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद (एसआईआरसी) – चेन्नई	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत
7	बैंगलोर	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत और संस्थान के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित
8	तिरूचिरापल्ली	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
9	त्रिवेंद्रम	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत और चैप्टर के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित
10	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) – कोलकाता	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत
11	आसनसोल	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत
12	धनबाद – सिंद्री	फोटोप्रति	चैप्टर के नाम पर पंजीकृत। चैप्टर के उपाध्यक्ष द्वारा निष्पादित।
13	सेरमपोर	फोटोप्रति	हस्तांतरण करार। चैप्टर के नाम पर पंजीकृत। चैप्टर के अध्यक्ष द्वारा निष्पादित।
14	रांची	फोटोप्रति	चैप्टर के नाम पर पंजीकृत। चैप्टर के सचिव द्वारा निष्पादित।
15	चंडीगढ़ पंचकुला	कोई डीड नहीं	कोई डीड नहीं
16	गोवा	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि।
17	सूरत दक्षिण (फ्लैट सं. 220)	फोटोप्रति	प्रमाणित प्रति प्राप्त। चैप्टर के नाम पर पंजीकृत। चैप्टर के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित नहीं।
18	हैदराबाद दृ हिमायतनगर	फोटोप्रति	प्रमाणित प्रति प्राप्त। संस्थान के नाम पर पंजीकृत। श्री ए. वी. रमण राव, सीसीएम आईसीएआई द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
19	इंदौर देवास	फोटोप्रति	प्रमाणित प्रति प्राप्त। चैप्टर के नाम पर पंजीकृत। चैप्टर के अध्य एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित।
20	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यूआईआरसी) – मुंबई	कोई डीड नहीं	कोई डीड नहीं
लीजहोल्ड भूमि			
1	डब्ल्यूआईआरसी सिडको भूमि (नवी मुंबई)	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत और संस्थान के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
2	भिलाई चैप्टर	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत और चैप्टर के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
3	उक्कुनागरम	फोटोप्रति	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. से पट्टा लिया गया। चैप्टर के नाम पर पंजीकृत और संस्थान के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित।
4	भुवनेश्वर	फोटोप्रति	चैप्टर के नाम पर पंजीकृत और चैप्टर के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
5	बोकारो स्टील सिटी	कोई डीड नहीं	कोई डीड नहीं
6	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) – नई दिल्ली	फोटोप्रति	संस्थान के नाम पर पंजीकृत और संस्थान के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित
7	कानपुर	फोटोप्रति	प्रमाणित प्रति। संस्थान के नाम पर पंजीकृत और संस्थान के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
8	लखनऊ	फोटोप्रति	लखनऊ विकास प्राधिरण से पट्टा लिया गया। चैप्टर के नाम पर पंजीकृत और संस्थान के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
9	उदयपुर	फोटोप्रति	चैप्टर के नाम पर पंजीकृत और चैप्टर के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
10	इलाहाबाद चैप्टर	फोटोप्रति	चैप्टर के नाम पर पंजीकृत और चैप्टर के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित
11	कोटा	कोई डीड नहीं	कोई डीड नहीं
12	पुणे चैप्टर	फोटोप्रति	चैप्टर के नाम पर पंजीकृत। संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित नहीं।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

विगत वर्ष 2016–17	विवरण	अनुसूची सं0	वर्तमान वर्ष 2017–18	
रू0			रू0	रू0
	संस्थान निधि			
2,61,57,11,488	सामान्य निधि	(1)		2,73,28,61,414
11,27,361	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		14,54,430
79,54,857	विविध पुरस्कार निधि	(3)		83,75,218
2,42,12,577	अन्य निधि	(4)		1,29,63,634
2,64,90,06,283	**कुल**			**2,75,56,54,696**
	द्वारा दर्शाई गई :			
	अचल परिसंपत्तियां	(5)		
1,14,50,94,330	(क) सकल ब्लॉक		1,15,07,36,244	
42,89,29,593	(ख) मूल्यह्रास घटाएं		48,32,59,364	
71,61,64,737	(ग) निवल ब्लॉक			66,74,76,880
12,23,44,524	चल रहा पूंजी कार्य			13,48,01,939
11,00,50,750	निवेश	(6)		11,00,50,750
1,87,37,25,539	वर्तमान परिसंपत्ति	(7)	2,05,79,10,663	
3,22,26,319	ऋण एवं अग्रिम	(8)	5,69,19,417	
1,90,59,51,858			**2,11,48,30,080**	
20,55,05,586	घटाएं : वर्तमान देयताएं और प्रावधान	(9)	27,15,04,953	
1,70,04,46,272	**निवल वर्तमान परिसंपत्ति**			1,84,33,25,127
2,64,90,06,283	**कुल**			**2,75,56,54,696**
	लेखों पर टिप्पणियां	**15**		
उपर्युक्त रुप में उल्लिखित अनुसूचियां लेखों के भाग हैं				

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बी एम चत्रथ एंड कं. एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजी. सं.: 301011ई/ई300025

सीएमए अरूप शंकर बागची
निदेशक (वित्त)

सीएमए एल. गुरूमूर्ति
सचिव (कार्यकारी)

सीए संजय सरकार
भागीदार
सदस्यता संख्या: 064305

सीएमए बलविंदर सिंह
उपाध्यक्ष

सीएमए अमित आनंद आप्टे
अध्यक्ष

स्थान:
दिनांक: 29.09.2018

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय का लेखा

विगत वर्ष 2016–17 रु.	विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष 2017–18 रु.
	आय:		
4,71,14,277	सदस्यता एवं अन्य शुल्क	(10)	4,29,89,740
44,41,25,764	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	(11)	50,99,72,043
14,88,53,612	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	(12)	15,84,00,672
1,66,82,735	सी पी डी एवं अन्य कार्यक्रम शुल्क		3,23,99,883
11,09,420	पत्रिका के अंशदान के लिए विज्ञापन सहित		10,94,290
6,86,242	प्रकाशन की बिकी		11,78,115
12,21,41,986	ब्याज		13,12,10,694
72,54,280	अन्य आय		69,33,423
78,79,68,316	**कुल:**		**88,41,78,860**
	व्यय:		
24,24,62,674	स्थापना	(13)	24,41,57,970
10,51,29,729	कार्यालय व्यय	(14)	11,07,95,802
15,07,166	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		16,22,892
1,14,55,051	यात्रा एवं वाहन		1,44,06,034
9,83,70,855	परीक्षा व्यय		9,63,75,805
2,29,65,914	परिषद एवं समिति की बैठकों का व्यय		2,53,23,823
–	ट्रिब्युनल सहित चुनाव का खर्च		2,80,438
1,64,96,887	पत्रिका व्यय		48,89,018
76,39,448	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		1,11,61,507
24,16,403	सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें		30,22,304
2,09,17,244	सीपीडी तकनीकी विकास एवं अन्य कार्यक्रम व्यय		3,13,11,358
1,27,60,561	व्यावसायिक विकास व्यय		1,49,42,939
10,82,44,992	कोचिंग व्यय		11,02,87,790
1,88,09,305	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणों की खपत		2,55,03,476
3,59,145	प्रकाशन सामग्री की खपत		5,67,606
40,05,128	बट्टे–खाते में डाली गई अन्य परिसंपत्तियां (स्टॉक एवं देनदार)		1,22,57,836
3,00,226	संदेहास्पद ऋण (विविध कर्जदार)		
6,90,54,319	मूल्यह्रास	(5)	5,78,27,743
74,28,95,047	**कुल**		**76,47,34,341**
4,50,73,269	**व्यय से अधिक आय होने के कारण आधिक्य शेष राशि जो आगे ले जाई गई है**		**11,94,44,519**
(48,16,432)	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	(14 क)	(50,53,508)
4,02,56,837	**सामान्य निधि में अंतरित व्यय का अधिशेष/(घाटा) होने के नाते शेष**		**11,43,91,011**
	उपरोक्त अनुसूचियां लेखा की भाग हैं ।		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बी एम चत्रथ एंड कं. एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजी. सं.: 301011ई/ई300025

सीएमए अरूप शंकर बागची
निदेशक (वित्त)

सीएमए एल. गुरूमूर्ति
सचिव (एक्टिंग)

सीए संजय सरकार
भागीदार
सदस्यता संख्या: 064305

सीएमए बलविंदर सिंह
उपाध्यक्ष

सीएमए अमित आनंद आप्टे
अध्यक्ष

स्थान:
दिनांक: 29.09.2018

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया
लेखों के भाग स्वरूप अनुसूची
अनुसूची सं. 1 : 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सामान्य निधि

विगत वर्ष 2016–17 रू0	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रू0
2,55,42,68,869	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार शेष	**2,61,57,11,488**
	जोड़ें :	
2,12,13,423	i) चैप्टर की भूमि और भवन का पूंजीकरण	
(24,78,275)	ii) लाइब्रेरी कोष से हस्तांतरण	
2,57,30,04,017		**2,61,57,11,488**
24,50,634	जोड़ें : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	27,58,915
2,57,54,54,651		**2,61,84,70,403**
4,02,56,837	जोड़ें : आय और व्यय लेखे के अनुसार वर्ष के लिए निवल अधिशेष	11,43,91,011
2,61,57,11,488	**कुल**	**2,73,28,61,414**

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
लेखाओं के भाग स्वरूप अनुसूची
अनुसूची सं. 2 :
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी उपदान निधि

विगत वर्ष 2016–17 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रु.
15,31,916	पूर्ववर्ती तुलनपत्र के अनुसार शेष	**11,27,361**
3,25,892	जोड़ें : वर्ष के लिए अंशदान	2,70,024
18,57,808		**13,97,385**
71,971	जोड़ें : वर्ष के लिए निधि की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	57,045
8,02,418	घटाएं : वर्ष के दौरान कर्मचारियों को प्रदत्त उपदान	–
11,27,361	**कुल**	**14,54,430**

अनुसूची सं. 3 :
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विविध पुरस्कार निधि

विगत वर्ष 2016–17 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रु.
75,99,950	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**79,54,857**
1,53,688	जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	2,41,461
6,25,060	जोड़ें : वर्ष के दौरान हुई आय	2,55,302
(4,23,841)	घटाएं : पुरस्कार की लागत	(76,402)
79,54,857	**कुल**	**83,75,218**

अनुसूची सं. 4 :
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अन्य निधि

विगत वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष

2016–17		2017–18
रु.		रु.
30,32,683	भवन निधि	5,46,134
32,13,883	पुस्तकालय निधि	62,961
1,79,66,011	विविध निधि	1,23,54,539
2,42,12,577	**कुल**	**1,29,63,634**

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
लेखाओं के भाग स्वरूप अनुसूची

अनुसूची सं. 5 : 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.17 को प्रारंभिक लागत	अवधि के दौरान अभिवृद्धि	घटाएं : अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/समायोजन	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कुल	01.04.2017 तक	वर्ष के लिए	जोड़ें/घटाएं : वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2018 तक	इस वर्ष 2017–18	विगत वर्ष 2016–17
	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0		रू0	रू0	रू0
मूर्त परिसंपत्तियां :										
फ्रीहोल्ड भूमि	15,89,74,020	18,19,800		16,07,93,820	–	–		–	16,07,93,820	15,89,74,020
लीज होल्ड भूमि	6,44,31,250	53,251		6,44,84,501	63,57,728	8,32,057		71,89,785	5,72,94,716	5,80,73,522
फ्रीहोल्ड भवन	62,33,29,189	2,42,624	–	62,35,71,813	23,91,94,243	3,84,51,479	(1,51,088)	27,74,94,634	34,60,77,179	38,41,34,946
फर्नीचर और फिटिंग्स	7,51,12,969	11,59,777		7,62,72,746	3,20,61,874	44,28,161	(9,02,614)	3,55,87,421	4,06,85,325	4,30,51,095
पुस्तकालय की पुस्तकें	1,25,80,649	7,55,617	7,985	1,33,28,281	1,25,80,649	6,44,794	(3,23,113)	1,29,02,330	4,25,951	–
कार्यालय उपस्कर	8,70,62,817	81,709	(1,91,570)	8,69,52,956	3,93,16,082	72,84,378	(9,78,895)	4,56,21,565	4,13,31,391	4,77,46,735
जेनरेटर्स	1,48,46,743	2,50,229	–	1,50,96,972	63,66,723	13,41,873	(2,43,096)	74,65,500	76,31,472	84,80,020
लिफ्ट	1,40,63,133	–		1,40,63,133	48,79,374	13,77,564		62,56,938	78,06,195	91,83,759
मोटर कार	5,07,053	29,063		5,36,116	4,16,556	16,114	12,138	4,44,808	91,308	90,497
कंप्यूटर	5,37,81,710	7,41,370		5,45,23,080	5,14,74,519	16,35,234	(10,63,360)	5,20,46,393	24,76,687	23,07,191
साइकिल	8,368			8,368	8,368	–		8,368	–	–
अमूर्त परिसंपत्तियां:										
सॉफ्टवेयर	4,03,96,429	7,08,029		4,11,04,458	3,62,73,477	18,16,089	1,52,056	3,82,41,622	28,62,836	41,22,952
	1,14,50,94,330	**58,41,469**	**(1,83,585)**	**1,15,07,36,244**	**42,89,29,593**	**5,78,27,743**	**(34,97,972)**	**48,32,59,364**	**66,74,76,880**	**71,61,64,737**
विगत वर्ष	**1,06,78,24,092**	**8,23,92,314**	**(51,22,076)**	**1,14,50,94,330**	**37,07,73,369**	**6,90,54,319**	**(1,08,98,095)**	**42,89,29,593**	**71,61,64,737**	**69,70,50,723**
									13,48,01,939	
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर									**12,23,44,514**

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
लेखाओं के भाग स्वरूप अनुसूची
अनुसूची सं. 6 : 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार निवेश (लागत पर)

विगत वर्ष 2016–17 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रु.
	सहकारी न्यास के शेयरः	
	10 रू0 प्रत्येक के 50 शेयर	
500	रोहित चैम्बर प्रेमिसेस को–आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई	500
	(पूर्व में जय बृंदावन प्रीमिसिस ट्रस्ट फंड, बाम्बे के रुप में वर्णित)	
11,00,00,000	आईसीएआई के दिवालिया व्यावसायिक एजेंसी में निवेश (10 रु. प्रत्येक के प्रदत्त शेयरों की संख्या 1,10,00,000)	11,00,00,000
50,250	– अन्य	50,250
11,00,50,750	**कुल**	**11,00,50,750**

अनुसूची सं. 7 :
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियां

विगत वर्ष 2016–17 रू.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रू.	रू.
	स्टॉक :		
12,11,418	– प्रकाशन स्टॉक (लागत पर)		19,06,264
9,02,622	– पेपर स्टॉक (लागत पर)		5,765
75,87,888	– विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री (लागत पर)		1,15,50,850
11,14,196	– अन्य सामग्री का स्टॉक (लागत पर)		18,30,905
2,02,12,200	**विविध कर्जदार**	3,25,34,495	
(2,51,025)	घटाएं : संदेहास्पद कर्जदारों के लिए प्रावधान	–	3,25,34,495
7,89,31,751	**अन्य प्राप्तव्य**		7,44,58,426
	नकदी और बैंक शेष :		
13,47,465	नकदी हाथ में		11,39,843
	अनुसूचित बैंकों के पास शेष :		
12,38,05,440	चालू खाते में		9,19,23,814
4,42,86,737	बचत खाते में		4,55,92,290
1,59,45,76,847	**बैंकों के पास सावधि जमा :**		1,79,69,68,011
1,87,37,25,539	**कुल**		**2,05,79,10,663**

अनुसूची सं. 8 :
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ऋण और अग्रिम

विगत वर्ष 2016–17 रू.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रू.
1,33,457	कर्मचारियों को भवन ऋण	–
21,170	कर्मचारियों को वाहन खरीद अग्रिम	–
68,04,570	अन्य अग्रिम	2,09,46,264
5,78,545	कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम	5,10,925
–	विदेशी निकायों को अग्रिम सदस्यता अंशदान	35,86,019
1,76,18,388	टी डी एस प्राप्ति	2,47,74,496
19,45,472	पूर्व प्रदत्त खर्च	14,61,610
51,24,717	जमा	56,40,103
3,22,26,319	**कुल**	**5,69,19,417**

अनुसूची सं. 9 :

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

विगत वर्ष 2016–17 रू.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रू.
	वर्तमान देयताएं :	
33,83,979	लाइब्रेरी जमा	31,80,858
2,88,89,142	विविध ऋण	5,20,09,990
97,05,194	आरसी के पास चालू खाता एवं चैप्टर	4,04,08,071
14,95,44,952	अन्य देनदारियां	15,55,36,793
43,76,869	देय टीडीएस	53,11,945
96,05,450	प्रावधान	1,50,57,296
20,55,05,586	**कुल**	**27,15,04,953**

अनुसूची सं. 10 :
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यता और अन्य शुल्क

विगत वर्ष 2016–17 रू.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रू.
3,88,88,902	वर्षिक सदस्यता शुल्क	3,45,32,979
66,64,511	सदस्यों का कार्य प्रमाण पत्र शुल्क	70,55,770
17,875	ग्रेड सी.डब्ल्यू.ए. शुल्क	9,600
1,66,147	सदस्यों की शिकायत/बहाली शुल्क/नामांकन शुल्क	4,01,192
18,500	प्रमाणित सुविधा केन्द्र शुल्क	500
13,29,342	सदस्यता और प्रमाणन शुल्क–आई एम ए (यू एस ए)	9,71,684
29,000	बेहतर स्थिति प्रमाण पत्र	18,015
4,71,14,277	**कुल**	**4,29,89,740**

अनुसूची सं. 11 : 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शिक्षण और अन्य शुल्क

विगत वर्ष 2016–17 रू.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18 रू.
1,29,01,000	छात्रों का पंजीकरण शुल्क	2,11,81,000
86,27,000	प्रायोगिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	53,40,000
17,93,057	व्यावहारिक प्रशिक्षण/विषय छूट शुल्क	33,88,234
36,72,53,048	शिक्षण शुल्क	41,69,04,223
3,75,33,254	कैट कोर्स आय	4,65,35,559
79,11,599	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	78,37,661
16,52,661	विवरणिका की बिक्री	34,08,926
64,54,010	अध्ययन नोट्स की बिक्री	53,74,940
135	डाक, कोचिंग, पुनर्वैधीकरण एवं नए सिरे से फार्मों की बिक्री	1,500
44,41,25,764	**कुल**	**50,99,72,043**

अनुसूची सं. 12 :

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षा और अन्य शुल्क:

विगत वर्ष 2016–17	विवरण	वर्तमान वर्ष 2017–18
रू.		रू.
14,59,39,984	परीक्षा शुल्क	15,42,49,803
28,93,250	उत्तर पत्रों की जांच के लिए शुल्क	41,47,569
–	स्केनर सहित सुझावित उत्तर की बिक्री	–
20,378	परीक्षा प्रपत्रों की बिक्री	3,300
14,88,53,612	**कुल**	**15,84,00,672**

अनुसूची सं. 13 :

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्थापना

19,58,58,002	वेतन और भत्ते	18,71,34,485
32,29,843	कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान	1,91,88,415
1,76,33,865	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	1,66,18,315
2,836	कर्मचारी हितकारी निधि में नियोक्ता का अंशदान	2,480
96,36,911	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण में नियोक्ता का अंशदान	53,89,412
49,32,664	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण–विद्यमान	47,61,026
65,62,929	चिकित्सा व्यय	59,32,796
4,75,331	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	3,48,697
8,10,193	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आई निरीक्षण प्रभार	13,64,245
33,20,100	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	34,18,099
24,24,62,674	**कुल**	**24,41,57,970**

अनुसूची सं0 14 :

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कार्यालय व्यय

63,26,095	मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	64,94,059
1,13,85,214	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	83,69,158
19,71,767	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	14,44,520
97,22,381	विद्युत प्रभार	1,00,52,382
1,66,920	जेनेरेटर व्यय	2,00,310
97,21,064	दरें और कर	25,47,020
11,28,223	बीमा	3,85,380
97,62,886	मरम्मत और रख–रखाव व्यय	92,26,142
12,06,985	कार व्यय	13,78,755
10,470	जमानती जमा पर ब्याज	10,720
25,60,470	विधिक प्रभार	24,62,439
2,34,646	बैंक प्रभार	2,77,266
29,77,436	कंप्यूटर रख–रखाव व्यय	56,17,145
22,79,978	जन संपर्क व्यय	21,70,787
19,00,030	देखरेख संबंधी व्यय	19,65,035
4,60,174	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	4,52,305
1,22,047	शिष्टमंडल शुल्क	1,96,651
3,40,845	राजपत्र अधिसूचना	3,18,775
24,34,231	कर्मचारी कल्याण	24,85,050
77,67,748	किराया	80,62,175
2,89,71,472	प्रशासनिक प्रभार	4,21,30,884
36,78,647	विविध व्यय	45,48,844
10,51,29,729	**कुल**	**11,07,95,802**

अनुसूची सं0. 14ए : <u>दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अवधि से पूर्व का समायोजन</u>

विगत वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष
2016–17		2017–18
रु.		रु.
	अवधि से पूर्व की आय	
1,94,041	मुख्यालय	1,02,829
10,87,416	डब्ल्यूआईआरसी	–
–	ईआईआरसी	–
14,628	एनआईआरसी	2,68,850
3,07,595	डब्ल्यूआईआरसी के चैप्टर	55,554
42,190	एसआईआरसी के चैप्टर	–
96,000	ईआईआरसी के चैप्टर	–
2,85,661	एनआईआरसी के चैप्टर	82,951
20,27,531	**कुल (क)**	**5,10,184**
	अवधि से पूर्व के व्यय	
62,19,341	मुख्यालय	36,23,676
7,135	ईआईआरसी	12,32,993
97,703	एनआईआरसी	3,54,885
4,22,958	डब्ल्यूआईआरसी के चैप्टर	63,933
4,018	एसआईआरसी के चैप्टर	1,62,080
37,600	ईआईआरसी के चैप्टर	
55,208	एनआईआरसी के चैप्टर	1,26,125
68,43,963	**कुल (ख)**	**55,63,692**
(48,16,432)	**अवधि से पूर्व का समायोजन (क–ख)**	**(50,53,508)**

दिनांक 31 मार्च, .2018 की स्थिति के अनुसार नकद प्रवाह विवरण

विगत वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष	
2016–17		2017–18	
रु.		रु.	रु.
	प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
4,02,56,837	कराधान से पूर्व निवल अधिशेष एवं असाधारण मद	11,43,91,011	
6,90,54,319	जोड़ें : मूल्यह्रास	5,78,27,743	
10,93,11,156	**कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष**	**17,22,18,754**	
1,84,33,643	चालू देनदारियों में वृद्धि	6,59,99,367	
(2,06,10,209)	चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	3,72,70,753	
3,90,43,852		**2,87,28,614**	
14,83,55,008	**प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी**		**20,09,47,368**
	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
3,84,57,865	सावधि परिसंपत्तियों की खरीद	1,80,99,329	
11,10,50,250	निवेश में कमी		
14,95,08,115	**निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी**		**1,80,99,329**
	वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
17,71,609	पूंजी में वृद्धि	(1,12,40,570)	
17,71,609	**वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी**		(1,12,40,570)
6,18,502	**नकदी और नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि**		**17,16,07,469**
1,76,33,97,987	**जोड़ें – अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य**		1,76,40,16,489
1,76,40,16,489	**दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य**		**1,93,56,23,958**
13,47,465	नकदी	11,39,843	
1,59,45,76,847	सवधि जमा	1,79,69,68,011	
12,38,05,440	बैंक में शेष – चालू खाता	9,19,23,814	
4,42,86,737	बैंक में शेष – बचत खाता	4,55,92,290	
1,76,40,16,489		**1,93,56,23,958**	

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के भाग स्वरूप टिप्पणियां
अनुसूची–15

क. प्रमुख लेखांकन नीतियां :

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा, लागू लेखा मानकों, यथा संशोधित लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के संगत प्रावधानों के अधीन तैयार किया गया है और जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाता है।

2. समेकन का आधार

मुख्यालय (कोलकाता) और नई दिल्ली कार्यालय एवं उसकी चार क्षेत्रीय परिषदों तथा पिचानवे चेप्टरों के वित्तीय विवरणों का समेकन समस्त वास्तविक अंतरा समूह शेष राशि और अंतरा समूह लेन देनों, तथा परिणामस्वरूप अप्राप्त अधिशेष/घाटे को समाप्त करने के बाद परिसंपत्तियां और देयताएं, आय और व्यय की समान मदों के खाता मूल्य को जोड़कर किया जाता है। आवश्यक समायोजन जहां भी अपेक्षित होता है, किए जाते हैं।

3. प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत किया जाता है।

4. पंजीकरण शुल्क

विद्यार्थियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को, जैसे ही विद्यार्थी नामांकित होता है, राजस्व आय के रूप में माना जाता है।

5. राजस्व को मान्यता देना

संस्थान आय की महत्वपूर्ण मदों को निम्नलिखित आधार पर स्वीकार करता है:.

क) सदस्यों का अंशदान

सदस्यों का अंशदान उस वर्ष में माना जाता है, जिस वर्ष का वह अंशदान हो।

ख) शिक्षण और अन्य शुल्क

डाक और मौखिक शिक्षण शुल्क के संबंध में राजस्व को छात्र के नामांकित होने पर ही स्वीकार किया जाता है।

ग) प्रकाशन की बिक्री

प्रकाशनों की बिक्री के संबंध में राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब ऐसे प्रकाशनों को किसी कीमत पर प्रयोक्ता को हस्तांतरित किया जाए।

घ) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क उस संबंधित अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि का वह होता है।

ड.) अन्य

कार्यक्रम शुल्क से प्राप्त राजस्व को कार्यकलाप किए जाने पर ही मान्यता दी जाती है।

च) ब्याज

बैंकों में सावधि जमा राशि पर देय वर्ष के लिए ब्याज से प्राप्त आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

छ) निवेशों से आय को तभी स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाए।

6. व्यय

व्यय को निम्नलिखित मामलों को छोड़कर डाक और मौखिक कोचिंग से संबंधित खर्चों सहित प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है:–

(i) चैप्टरों से संबंधित वार्षिक अनुदान को संवितरित किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

(ii) चुनाव पर होने वाले खर्च को उस वित्तीय वर्ष में स्वीकार किया जाता है जिसमें वह खर्च हुआ हो।

7. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास को घटाकर उल्लिखित किया जाता है। लागत में खरीद कीमत और परिसंपत्ति को उसके प्रत्याशित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए वहन की गई कोई भी अन्य लागत शामिल होती है। सृजित की जा रही परिसंपत्तियों को पूंजीगत चल रहे कार्यों के रूप में दर्शाया जाता है।

8. मूल्यह्रास/परिशोधन :

(क) अचल परिसंपत्तियों संबंधी मूल्यह्रास को आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार अवलिखित मूल्य पद्धति पर दर्शाया जाता है ।

(ख) पट्टे कर भूमि का बही मूल्य उस पर प्रदत्त प्रीमियम सहित पट्टा–अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि का किराया, यदि कोई हो, तो उसको उस वर्ष के खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष के लिए ऐसे प्रभार बकाया या देय हों।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों में खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत का मूल्यह्रास होता है।

9. निवेश

दीर्घावधिक निवेशों को लागत पर उल्लिखित किया जाता है। तथापि, जब दीर्घावधिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से इतर गिरावट आती है, तो गिरावट को मान्यता देने के लिए वहनीय राशि घटाई जाती है।

10. माल–सूचियां

विवरणिका स्टॉक आदि समेत प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री और पेपर स्टॉक का मूल्य, लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री की लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है और कागज की लागत प्रथम प्राप्त प्रथम निर्गत आधार पर निर्धारित की जाती है।

11. <u>प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का लेखांकन</u>

(i) किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है:–

(क) जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो,

(ख) ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का प्रवाह अपेक्षित है; और

(ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ii) निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गयी है :–

(क) कोई संभावित दायित्व जो पूर्ववर्ती घटना से उत्पन्न हो और जिसकी मौजूदगी की पुष्टि एक या उससे अधिक ऐसी अनिश्चित भावी घटनाओं के होने अथवा नहीं होने से होती हो जो संस्था के पूर्णत: नियंत्रण में न हों।

(ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न हो, परंतु उसे मान्यता इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधन का कोई प्रवाह अपेक्षित होगा या दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में व्यक्त किया गया है। इनका नियमित अंतराल पर आकलन किया गया है और दायित्व के केवल उसी हिस्से, जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के प्रवाह की संभावना हो, के लिए उन अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर प्रावधान किया गया है, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके।

12. <u>विदेशी मुद्रा में लेन–देन</u>

विदेशी मुद्रा में लेन–देन सौदे की तारीख को प्रचलित विनिमय दर में मूल्यवर्गित किया जाता है। मौद्रिक मदों को अंतिम दर का प्रयोग करके दर्शाया गया है। आरंभ में रिकॉर्ड या रिपोर्ट की गई मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर में अंतरों को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय/व्यय के रूप में, जो भी स्थिति हो, मान्यता दी गई है।

13. <u>कर्मचारी लाभ :</u>

(i) <u>अल्पावधिक लाभ</u>

अल्पावधिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के दौरान दावा किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है। दावा न की गई राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) नौकरी के बाद के लाभ जैसे भविष्य निधि, उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि का प्रावधान मुख्यालय संबंधित क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों में यथा लागू रूप में किया गया है।

14. <u>परिसंपत्तियों का नुकसान</u>

तुलन पत्र की तारीख को नुकसान वाली परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, की पहचान की जाती है और यथापेक्षित आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

15. <u>पूर्वावधि आय/व्यय</u>

पूर्वावधि की मदों, जो एक या उससे अधिक पूर्ववर्ती अवधियों में वित्तीय विवरण तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में आती हैं, को आय और व्यय लेखे में अलग से दर्शाया गया है।

ख. <u>लेखाओं के भागस्वरूप टिप्पणियां</u>

1. समेकित वित्तीय विवरण मुख्यालय, कोलकाता, नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और बानवे चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जिनमें से 4 लेखे लेखापरिक्षित नहीं हैं। यथा हरिद्वार–ऋषिकेश, भरूच–अंकलेश्वर, पटियाला, त्रिवेन्द्रम, आगरा–मथुरा, नया नंगल और जबलपुर–क्योंझार।

   तीन चेप्टरों यथा जबलपुर (2016–17 और 2017–18 के दौरान कोई लेन–देन नहीं), भद्रावती–सिमोगा और गाजियाबाद के लेखे प्राप्त न होने के कारण शामिल नहीं किए गए हैं। तथापि, इन चेप्टरों के विगत वर्ष के तुलन पत्र के आंकड़ों पर समेकन के लिए विचार किया गया है (देखें : अनुबंध– I)।

2. झागरखंड चिरिमिरी, कोबरा, कोंकण, सिलचर और चन्द्रपुर चेप्टरों की परिसंपत्तियों और देयताओं को संस्थान के साथ आमेलित कर दिया गया हैं क्योंकि इन चेप्टरों को विघटित कर दिया गया है।

3. आय कर में छूट, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 10 (23 क) के अधीन प्रदान की गई हैं। अतः आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

4. संस्थान द्वारा रखी जाने वाली सभी पुरस्कार निधियां तत्संबंधी सावधि जमा में संगत निवेश के साथ लेखाओं में शामिल की गई हैं। ये निधियां विभिन्न दाताओं द्वारा प्रायोजित की गई हैं।

5. 1,79,69,68,011/–रूपए की सावधि जमा में विविध पुरस्कार और अन्य निधि के लिए 37,11,529/– रूपए शामिल हैं।

6. अन्य अग्रिमों में परिषद के भूतपूर्व सदस्य से एम सी ए, भारत सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण बकाया 1,36,097 रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 1,36,097 रूपए) शामिल हैं और यह मामला अभी भी न्यायाधीन है।

7. सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल है :–

   सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (मुख्यालय) (जीएसटी सहित) – **<u>4,92,267/– रूपए</u>**

8. **(i) <u>मुख्यालय:</u>**

   (क) भविष्य निधि अंशदान इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि न्यास में किया जाता है।

   (ख) उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) के अनुसार उपदान के संबंध में देयता को सामूहिक उपदान नीति के तहत एल.आई.सी.आई. को किए गए अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

   (ग) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देयता को एल.आई.सी.आई. के पास रखी गई अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

   (घ) 77,87,25,372/– रूपए की सावधि जमा में विविध पुरस्कार और अन्य निधियों के लिए 29,18,957/– रूपए शामिल हैं।

(ii) <u>ई आई आर सी</u>

क) 31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार 16,30,077 रूपए के विविध कर्जों में से तीन वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए अभी 10,74,311 रूपए वसूल किए जाने बाकी हैं।

ख) 13,10,101/– रुपए के अग्रिम तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अभी समायोजित नहीं किए गए हैं। इसके समायोजन/वसूली के लिए परिषद द्वारा आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

ग) उपदान प्रावधान – उपदान प्रावधान के वास्तविक मूल्याकंन के निमित्त एलआईसी से सूचना प्राप्त होने तक लंबित 10,00,000/– रुपए की राशि वर्ष के दौरान तदर्थ आधार पर जमा कर दी गई है।

घ) 2014–15 से 1,60,44,103/– रुपए की राशि सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शाई गई है, यद्यपि, उसका प्रयोग 2015–16 से नियमित परिसंपत्ति के रूप में किया गया है। कुछ कानूनी कानूनों से उसका पूंजीकरण न किए जाने के कारण लेखों में पिछले तीन वर्षों में कोई मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

ङ) ईआईआरसी ने एसबीआई, हरीश मुखर्जी रोड शाखा के साथ एक लीज करार किया था। यह लीज करार 31.12.2012 को समाप्त हो गया था और इसका नवीकरण नहीं किया गया था। ईआईआरसी को लीज डीड के समाप्त होने के बाद से एसबीआई से कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है।

च) अनुपालक संख्या कॉन/21–सीडब्ल्यूए(9) 2010 में अनुशासनिक समिति द्वारा जारी 27 मई, 2015 के आदेश के अनुसार लागत एवं कार्य लेखाकार (व्यावसायिक एवं अन्य दुर्व्यवहार तथा मामलों के आचरण) नियमावली, 2007 के नियम 19(1) के साथ पठित सीडब्ल्यूए अधिनियम, 1959 की धारा 21ख(3) के अनुसार सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश लगाए गए हैं–

- "सदस्य की प्रताड़ना
- आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर दी जाने वाली संस्थान के ईआईआरसी को 64,461/– रुपए की पूरी राशि तथा जुर्माने की समतुल्य राशि का पुनर्भुगतान
- आदेश देने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य का रजिस्टर से नाम हटाना"

तद्नुसार, 1,22,922/– रुपए संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने थे। भारत के लागत एवं लेखाकार संस्थान के अपील प्राधिकारी के समक्ष के अपील दायर की गई थी और उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम की धारा 22(ङ) की उप धारा (2) के खंड (ग) के तहत इस उपर्युक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 09/04/18 के द्वारा उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने उन निर्देशों के पूरा होने तक संस्थान की अनुशासनिक समिति द्वारा जारी अनुचित आदेश के प्रचालन को स्थगित कर दिया है जिनके लिए मामला आदेश दिनांक 09/04/2018 के पैरा (12) के तहत उल्लिखित प्रयोजन के लिए और नया आदेश जारी करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु भारत के लागत लेखाकार संस्थान की अनुशासनिक समिति को भेजा जा रहा है।

छ) भुवनेश्वर चैप्टर

यह पाया गया है कि इस चैप्टर की भूमि एवं भवन चैप्टर के नाम पर लीजहोल्ड संपत्ति है। इस चैप्टर में ओडिशा सरकार को संस्थान के नाम पर उसे अंतरित करने के लिए पत्र लिख दिया है, परंतु यह मामला अभी सरकार के स्तर पर लंबित है।

(iv) <u>एनआईआरसी</u>

क. एनआईआरसी में कार्यकारी समिति की 6 अक्टूबर, 2015 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर तथा क्षेत्रीय परिषद की दिनांक 22.11.2015, 27.11.2015 और 25.05.2016 को हुई बैठकों में उसकी संपुष्टि किए जाने पर तत्कालीन अध्यक्ष को वर्ष 2014–15 के लिए 41,44,422/–रूपए की राशि का एक डेबिट नोट भेजा गया था।

क्षेत्रीय परिषद ने दिनांक 31.05.2017 को हुई अपनी बैठक में 41,44,422/– रूपए की धनराशि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रभारित ब्याज के साथ (3,31,554/– रूपए) कुल 44,75,976/– रूपए की राशि वसूल करने के लिए एक दावा दायर करने का निर्णय लिया है। यह राशि उक्त तारीख से तत्कालीन अध्यक्ष से वसूल की जानी है जो कि वर्ष 2014–15 में अध्यक्ष थे क्योंकि इसे राजस्व लेखा में दर्ज नहीं किया गया है। इस राशि को वसूल करने का दावा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है और इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

ख. एनआईआरसी के लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापित ऑनलाइन बकायों की स्थिति के अनुसार एनआईआरसी की 1,55,130/– रुपए की कर मांग है। चूंकि, एनआईआरसी इस मामले को आय कर प्राधिकारियों के साथ ले रहा है, अतः पैनल ब्याज के संबंध में बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो कि देय हो सकता है क्योंकि एनआईआरसी का यह मत है कि इस प्रकार की मांग वैध नहीं है क्योंकि इसमें संशोधन और आय कर विभाग के साथ कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, यद्यपि, बकाया मांग के लिए प्रावधान/समायोजन लेखाबहियों में कर दिए गए हैं। कर की बकाया मांग के संशोधन/परिशोधन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं–

वित्तीय वर्ष	बकाया मांग (रु.)
2017–18	21,020
2016–17	70
2015–16	910
2014–15	5,400
2013–14	12,910
2011–12	30,180
2010–11	13,390
2009–10	10,670
2008–09	43,160
2007–08	17,420
कुल	1,55,130/–

ग. 2,13,700/– रुपए की राशि के कानूनी प्रभार एनआईआरसी द्वारा/उसके विरुद्ध दायर कानूनी मामलों से संबंधित है। इन्हें प्रधान कार्यालय के नामे डाला गया है और प्रधान कार्यालय से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। प्रधान कार्यालय से दावा किया गया है, परंतु आज की तारीख में अनुमोदन तथा देय जारी करने के लिए लंबित है।

घ. कर्मचारियों (परामर्शदाताओं के रूप में), जो एनआईआरसी के पेरोल में नहीं हैं, को भुगतान किया गया था। तद्नुसार, परामर्शदाता गैर–पंजीकृत नहीं थे और एनआईआरसी पंजीकृत था और इस प्रकार 14 अक्तूबर, 2018 तक रिवर्स प्रभार के अंतर्गत जीएसटी जमा करने के लिए उसकी देयता थी तथा उसके इनपुट का दावा किया जाना चाहिए था। तथापि, एनआईआरसी ने इसे बाहरी आपूर्ति माना है और 46,112/– रुपए का जीएसटी गलत शीर्ष के अंतर्गत जमा किया गया था। जीएसटी पोर्टल द्वारा शामिल की गई सीमाओं के कारण यह राशि वार्षिक जीएसटी विवरणी प्रस्तुत करते समय समायोजित किए जाने का दावा किया जाएगा।

9. आकस्मिक देयता (ऐसे दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया)

(क) नीति के अनुसार, नीति में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन बिल प्रस्तुत करने पर कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय (सामान्य, पैथोलॉजी व्यय) की प्रतिपूर्ति की जाती है। नीति की शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित हो सकती है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों के खाते में 58ए14ए552/– रूपए की अप्रयुक्त शेष राशि पड़ी है।

(ख) पूर्व संविदात्मक कर्मचारियों ने ईआईआरसी के खिलाफ वर्ष 2014 में इसी समय एक कानूनी दावा दायर किया है जो अभी तक लंबित है। वर्ष के दौरान स्थिति प्रभारित नहीं की गई है। आवश्यक प्रभाव, यदि कोई है, का मामले के अंतिम परिणाम के बाद लेखाओं में प्रावधान किया जाएगा।

10.

मामला संख्या	पार्टी का नाम	न्यायालय में लंबित मामला	विवरण
रिट याचिका संख्या 22566 (डब्ल्यू 2016)	मित्रा एंड एसोसिएटस और अन्य बनाम आईसीएआई और अन्य	कोलकाता उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने धनराशि को वसूल करने के लिए मामला दर्ज किया है। यह धनराशि ईआईआरसी (84 हरीश मुखर्जी रोड, कोलकाता–700026) के निर्माण और अन्य कार्यों के कारण प्रोद्भूत हो गई है, जो कि 24,79,274/– रूपए मूल्य की है।
मध्यस्थता याचिका (एसटी) वर्ष 2017 की 7232	गुलराज कंस्ट्रक्शन बनाम आईसीएआई	बंबई उच्च न्यायालय	यह संस्थान और विक्रेता के बीच मध्यस्थता का मामला है, जो कि 4,69,40,914/– रूपए के लिए है। संस्थान ने अपने पेनल में शामिल वकील के माध्यम से माननीय बंबई उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व किया है और संस्थान ने संविदाकार से 4,75,63,671/– रुपए का दावा दायर किया है।

11. पुराने परीक्षा प्रपत्र बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। बट्टे खाते में डालने का प्रभाव निम्नलिखित है:

विवरण	मात्रा (संख्या)	राशि (लाख रुपए में)
परीक्षा प्रपत्र	12656	2.71

12. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 1,15,10,266/– रुपए की राशि के जीएसटी इनपुट ऋण का शेष आय एवं व्यय खाते में लगाया गया है। 49,48,660/– रुपए का जीएसटी उत्पादन कर वार्षिक विवरणी दायर करने के दौरान ब्याज सहित देय है।

13. फ्रीहोल्ड भूमि और भवन तथा लीज होल्ड भूमि के संबंध में 57.73 लाख रुपए के लिए कोई करार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फ्रीहोल्ड भूमि और भवन के संबंध में मूल करार 280.07 लाख रुपए के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता (107.99 लाख रुपए संस्थान के नाम पर और 172.08 लाख रुपए चैप्टरों के नाम पर)।

14. क्षेत्रीय परिषदों और चेप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन की प्रविष्टियां लेखाओं के समेकन के समय कर दी गई हैं।

15. 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के आधार पर ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमी विकास अधिनियम, 2006'' के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमियों को ब्याज सहित कोई राशि देय नहीं हैं।

16. विगत वर्ष के आंकडों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, वहां वर्तमान वर्ष के समूहों के समनुरूप पुनःवर्गीकत और पुनःसुव्यवस्थित किया गया है।

सीएमए अरुप शंकर बागची
निदेशक (वित्त)

सीएमए एल. गुरूमूर्ति
सचिव (एक्टिंग)

सीएमए बलविंदर सिंह
उपाध्यक्ष

सीएमए अमित आनंद आपटे
अध्यक्ष

तारीख: 29.09.2018

अनुबंध-I

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
वत्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखाओं के प्राप्त होने की स्थिति

पश्चिमी क्षेत्र			दक्षिणी क्षेत्र	
क्र.सं.	नाम		क्र.सं.	नम
1	**पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद**		1	**दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद**
2	आईसीएआई का अहमदाबाद चैप्टर		2	आईसीएआई का बंगलौर चैप्टर

3	आईसीएआई का औरंगाबाद चैप्टर		3	आईसीएआई का भद्रावती–सिमोगा चैप्टर #
4	आईसीएआई का बड़ौदा चैप्टर		4	आईसीएआई का कोचीन चैप्टर
5	आईसीएआई का भिलाई चैप्टर		5	आईसीएआई का कोयम्बटूर चैप्टर
6	आईसीएआई का भोपाल चैप्टर		6	आईसीएआई का ईरोड चैप्टर
7	आईसीएआई का बिलासपुर चैप्टर		7	आईसीएआई का गोदावरी चैप्टर
8	आईसीएआई का गोआ चैप्टर		8	आईसीएआई का हैदराबाद चैप्टर
9	आईसीएआई का इंदौर–देवास चैप्टर		9	आईसीएआई का कोट्टायम चैप्टर
10	आईसीएआई का जबलपुर चैप्टर #		10	आईसीएआई का मुदुरई चैप्टर
11	आईसीएआई का कल्यान–अंबरनाथ चैप्टर		11	आईसीएआई का मंगलौर चैप्टर
12	आईसीएआई का कोल्हापुर–सांगली चैप्टर		12	आईसीएआई का मेत्तूर–सेलम चैप्टर
13	आईसीएआई का कच्छ–गांधीधाम चैप्टर		13	आईसीएआई का मैसूर चैप्टर
14	आईसीएआई का नागपुर चैप्टर		14	आईसीएआई का नेल्लई–पर्ल सिटी चैप्टर
15	आईसीएआई का नासिक–ओजार चैप्टर		15	आईसीएआई का नेल्लूर चैप्टर
16	आईसीएआई का नवीं मुंबई चैप्टर		16	आईसीएआई का नेवेली चैप्टर
17	आईसीएआई का पिम्परी–चिंचवाड–अकुरडी चैप्टर		17	आईसीएआई का पलक्काड चैप्टर
18	आईसीएआई का पुणे चैप्टर		18	आईसीएआई का पांडिचेरी चैप्टर रु
19	आईसीएआई का रायपुर चैप्टर		19	आईसीएआई का रानीपेट–वेल्लूर चैप्टर
20	आईसीएआई का सूरत–गुजरात चैप्टर		20	आईसीएआई का त्रिशूर चैप्टर
21	आईसीएआई का वापी–दमन–सिलवासा चैप्टर		21	आईसीएआई का त्रिचूरपल्ली चैप्टर
22	आईसीएआई का विंध्यानगर चैप्टर		22	आईसीएआई का त्रिवेन्द्रम चैप्टर
23	आईसीएआई का सोलापुर चैप्टर		23	आईसीएआई का उकन्नाग्राम चैप्टर
24	आईसीएआई का भरुच अंकलेश्वर चैप्टर		24	आईसीएआई का विजयवाड़ा चैप्टर
			25	आईसीएआई का विशाखापट्टनम चैप्टर

पूर्वी क्षेत्र			**उत्तरी क्षेत्र**	
क्र.सं.	**नम**		**क्र.सं.**	**नम**
1	**पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद**		1	**उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद**
2	आईसीएआई का अगरतला चैप्टर		2	आईसीएआई का आगरा–मथुरा चैप्टर
3	आईसीएआई का आसनसोल चैप्टर		3	आईसीएआई का अजमेर–भीलवाड़ा चैप्टर
4	आईसीएआई का बोकारो स्टील सिटी चैप्टर		4	आईसीएआई का इलाहाबाद चैप्टर
5	आईसीएआई का भुवनेश्वर चैप्टर		5	आईसीएआई का चंडीगढ़–पंचकुला चैप्टर
6	आईसीएआई का कटक–जगतसिंहपुर–केन्द्रपारा चैप्टर		6	आईसीएआई का देहरादून चैप्टर
7	आईसीएआई का धनबाद–सिंदरी चैप्टर		7	आईसीएआई का फरीदाबाद चैप्टर
8	आईसीएआई का दुर्गापुर चैप्टर		8	आईसीएआई का गाजियाबाद चैप्टर #
9	आईसीएआई का गुवाहाटी चैप्टर		9	आईसीएआई का गोरखपुर चैप्टर
10	आईसीएआई का हजारीबाग चैप्टर		10	आईसीएआई का गुड़गांव चैप्टर
11	आईसीएआई का हावड़ा चैप्टर		11	आईसीएआई का हरिद्वार–ऋषिकेश चैप्टर
12	आईसीएआई का जयपुर–क्योंझर चैप्टर		12	आईसीएआई का जयपुर चैप्टर
13	आईसीएआई का जमशेदपुर चैप्टर		13	आईसीएआई का जालंधर चैप्टर
14	आईसीएआई का खड़गपुर चैप्टर		14	आईसीएआई का जम्मू श्रीनगर चैप्टर
15	आईसीएआई का नईहत्ती–इचलपुर चैप्टर		15	आईसीएआई का झांसी चैप्टर
16	आईसीएआई का पटना चैप्टर		16	आईसीएआई का जोधपुर चैप्टर
17	आईसीएआई का राजपुर चैप्टर		17	आईसीएआई का कानपुर चैप्टर
18	आईसीएआई का रांची चैप्टर		18	आईसीएआई का कोटा चैप्टर
19	आईसीएआई का राउरकेला चैप्टर		19	आईसीएआई का लखनऊ चैप्टर
20	आईसीएआई का संबलपुर चैप्टर		20	आईसीएआई का लुधियाना चैप्टर
21	आईसीएआई का सेरामपोर चैप्टर		21	आईसीएआई का नया नागल चैप्टर
22	आईसीएआई का सिलीगुड़ी–गंगटोक चैप्टर		22	आईसीएआई का नोएडा चैप्टर
23	आईसीएआई का साउथ ओडिशा चैप्टर		23	आईसीएआई का पटियाला चैप्टर
24	आईसीएआई का तलचर–अंगुल चैप्टर		24	आईसीएआई का उदयपुर चैप्टर
25	आईसीएआई का धुलियाजान चैप्टर		25	आईसीएआई का बीकानेर झुंझनु चैप्टर

 # शामिल नहीं है।

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

Kolkata the, 29th September, 2018

No. G/18-CWA/9/2018.— In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act,1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March,2018 are hereby published for general information.

CMA L. Gurumurthy, Secretary (Acting)

[ADVT. –III/4/Exty./249/18]

59th, ANNUAL REPORT, 2017-18

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 59th Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

Abridged Annual Report 2017-18

Directorate and its Activities

- **PD& CPD Committee**
  - During the year the PD directorate has made more than 625 representations to various Central and State Government ministries, PSUs and other organizations for inclusion of cost accountants for providing professional services in the area of GST, Accounts, Internal / Concurrent Audit/ Taxation, Stock audit and other assignments.
  - The Institute, on a regular basis receives application for "Expression of Interest" for empanelment as Auditor/Consultant from various Corporate, Government departments and agencies. These are hosted on the PD portal and also communicated to all the members through periodic mails.
  - National Practitioners Convention 2018 was organised by the PD Directorate in association with WIRC & Baroda Chapter at Vadodara, Gujarat in May 2018 with overwhelming response from the practitioners. The theme of the NCPC-2018 was "Emerging Professional Avenues: Capacity Building of CMAs". There were discussions on various emerging professional issues.
  - A presentation was made before Hon'ble Minister of State for Law & Justice and Corporate Affairs on the Institute's activities and issues pending with the Ministry. Representation letters were also sent to the effect for their consideration.
  - SEBI issued circular on Strengthening the Guidelines and Raising Industry standards for RTA, Issuer Companies and Banker to an Issue. All RTAs are required to carry out internal audit on annual basis by independent qualified Cost and Management Accountants or Chartered Accountants or Company Secretaries and Certified Information Systems Auditor (CISA).
  - PD Directorate has submitted suggestions to Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry on discussion paper to formulate Industrial Policy 2017.

- **Membership Department**

Membership – A step forward in Digitization

Membership Department, guided by the Members Facilities and Services Committee, and under the active leadership of The President of the Institute, has incorporated the venture to offer smoother services to members and the prospective members in terms of their intrinsic requirements, by implementing a direct interactive DASH BOARD system, being updated on real time basis. Membership Department already achieved to register 2353 numbers of newly admitted associated members and 491 newly advanced fellow members during the FY 2017-2018. There are many more in the pipeline. The achievement in growth in the area of granting Certificate of Practice during FY 2017-2018 is also remarkable

In addition to some of the special features which are already introduced:

- Waiver of convenience charges / bank charges in making online payments by Members
- Launching of e-mail facility for members and likewise

A new time line oriented provision also incorporated as

- Provision for incorporation of GST number against membership number along with the reflection of the same in their corresponding membership fees receipts

Online facility is available at
https://cmaicmai.in/MMS/Login.aspx?mode=EU

➢ **Directorate of Studies**

Directorate of Studies is entrusted in activities relating to student administration and liaison with stakeholders (i.e. Students/ Regional Councils/ Chapters/ CMASCs) while Academics Department is entrusted for capacity building through qualitative improvement and skill development measures. There were also many activities which were jointly contributed and effectively supervised by both the Departments.

Highlights of Performances of the Directorate of Studies in 2017-18:

6. Increase in student's strength over the previous year is 25.33% (considering both Foundation and Intermediate level of admission).
7. **Initiatives taken for capacity building through qualitative improvements:**
   i. Amended Study Materials for Direct Taxes and Indirect Taxes for Intermediate and Final levels
   ii. Work Book for Intermediate and Final levels (other than Direct & Indirect Tax)
   iii. Revisionary Test Papers (RTP) for Intermediate & Final levels
   iv. Mock Test Papers (MTP) for Foundation, Intermediate & Final level

8. **Support service to the students**
   i. Regular correspondence with the students through SMS & Mail.
   ii. SMS to students for non compliance of examination related requirements prior to release of admit card and declaration of results.
   iii. Printing and distribution of Digital printed photo laminated Student's Identity Card to students all the students registered for June 2018 term.
   iv. Conducting career awareness programme throughout the country.

9. **Social Responsibilities**
   i. An initiative to extend financial support to students pursuing this course, Institute has initiated a scheme of refund or waiver of fees. The benefit is made available only up on application and meeting the prescribed condition.
   ii. Fee waiver for and scholarship for economically challenged cum meritorious students. To support talented students who are economically challenged, Institute has financial assistance schemes.

10. **Application** of Cost Management in despatch of Study Materials

➢ **Tax Research Department (TRD) /Taxation Committee**

A. <u>Webinars:</u>

The webinars conducted by the department are highly appreciated by the members of the Institute. To create the awareness among members on the new tax regime this forum has been highly appreciated and received overwhelming response from the members of the Institute. Recorded webinars are also available on the website of the Institute under Taxation portal.

B. <u>Seminars and Workshops:</u>

<u>List of Seminars conducted by the Department in association with the Chapters:</u>

From time to time, to encourage the small Chapters in organizing various seminars, TRD has taken the initiatives and in total 8 seminars has been conducted during the FY 2017-18

✓ The Directorate in association with the Rourkela Chapter had organized Full day session on GST for the members and students on 11th March, 2018.

- ✓ On 11th March, 2018 along with Serampore Chapter on the occasion of their silver jubilee program the directorate had conducted seminar for students and members on GST.
- ✓ The National Interactive Seminar cum Workshop on Unfolding Goods and Services Tax had been organized by the Taxation Research Directorate on 9th and 10th March, 2018 at Balasore, Odisha for the students of the FM University along with our members as participants in the workshop.
- ✓ Budget Seminar at Rourkela help on 4th February, 2018 on "GST" has been appreciated and admired by the attendees. Another seminar on GST – E way bill road ahead has received commendable appreciation from the participants.
- ✓ Budget seminar at South Odisha held in the month January and February, 2018 on the topic GST Seminar for Students and Members.
- ✓ Seminar at Siliguri Chapter dated 23rd December, 2017 on the topic "GST Implementation and Challenges" was successfully completed.

C. Representation to the GST Council

The Tax Research Department of the Institute has submitted various suggestions to GSTN for modification and simplification of Returns under GST regime.

D. GST Help Desk:

The Institute has launched the 'GST Helpdesk' in a new digitized environment as a complimentary facility for all the stakeholders, to achieve a seamless transition in GST.

E. Tax Bulletins:

Launching of **"Fortnightly Tax bulletin"** is another feather in cap for the Department in the month of October, 2017.

F. Pre Budget memorandum

Department has submitted Pre Budget Memorandum 2018-19 to the Finance ministry and have given presentation on Pre Budget Memorandum.

G. Anti Profiteering Book

The Department has launched Guidance Note on Anti Profiteering. The book was circulated to the GST Council Members and all the members of Screening Committee of National Anti-Profiteering Authority.

H. Contribution of Resource Persons

Tax Research Department has a pool of Resource Persons who are constantly in support and share their knowledge, expertise as and when required.

I. CERTIFICATION COURSE ON GST

In collaboration with the Board of Advanced Studies, the Tax Research Department has successfully completed the First Batch of Certificate Course on GST in both the online and offline mode on PAN India basis.

- ➢ **Internal Control Department**
  - The Department prepared Expression of Interest including scope of audit for appointment of Internal Auditors and appointed Internal Auditors of three Regional Councils and nine Chapters with turnover exceeding Rs. 25 lacs.
  - Compilation of Internal Audit Report of 3 Regions and 9 Chapters with management reply for FY 2017-18.
  - Vetting of various purchase proposals originating from different departments as per Tender Guidelines, DOP and GFR.
  - Discussing with the Internal Auditor of HQ alongwith respective departments regarding Internal Audit outcomes and advising measures to overcome the issue.

- ➢ **Information Technology Department**

The Institute made effective use of Information Technology not only to improve efficiency and service delivery to the stakeholders but also to enhance interaction with the stakeholders.

Reach President: An Online helpdesk for members and students was launched to effectively reach the concerned service department by the students and members thereby reducing the time required to address the concerns of students / members.

Data Dashboard: An online data dashboard was developed to connect the databases of various departments and make these available online to concerned personnel assisting them in their works.

Research Survey: Assisted different Departments to design forms for survey and inviting expression of interest.

Webinars: Facilitated various Committees and Departments to conduct webinars on varied topics of interest for both members and student.

Advanced Studies Portal: Assisted Advanced Studies in launching several courses that make extensive use of technology for delivering contents and lecture including video lectures and webinar. A redesigned portal was launched that provides the student login facility and facilitates management of the course.
Events Portal and Webcast: In house team developed online portals for major national events and also arranged for live webcast of these events so that students and members who could not visit such events can view the live webcast of the events. Some such Events webcast Live were:

- National Cost Convention 2018
- International Summit 2018
- Student Convocation 2018
- Platinum Jubilee Celebrations 2018

HRIS: The Human Resource Information System was further extended to automate several HR and Admin functions related to employees and recruitments undertaken by the Institute.
PayTM facility for Members: Additional facility was made available to the members to pay their annual membership fee using payTM.

➢ **Report on activities with Competition Commission of India during the year 2017-18**

The Institute is happy to collaborate with the Competition Commission of India to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues. We take this opportunity to enrich our Professionals through 'Capacity Building' exercise.

➢ **Internal Complaints Committee**

As envisaged under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressed) Act, 2013, the annual report of the Internal Committee of Institute for the period 1.1.2017 to 31.12.2017 is as under:

	Number of complaints of sexual harassment received in the year(January 1, 2017 to December 31, 2017)	NIL
	Number of complaints disposed off during the year (January 1, 2017 to December 31, 2017)	2
	Number of cases pending for more than ninety days	NIL
	Number of workshops or awareness programmes carried out on sexual harassment (January 1, 2017 to December 31, 2017)	NIL

➢ **Disciplinary Directorate**

3. Board of Discipline under Section 21A of the Cost and Works(Amendment) Act, 2006
4. Disciplinary Committee under Section 21B of the Cost and Works(Amendment) Act, 2006

➢ **Advanced Studies**

The Directorate of Advanced Studies has been constituted by the Institute in order to provide advanced knowledge and specialized training on various areas of Cost & Management Accountancy, including finance and other allied subjects.

ABOUT THE COURSES

01 EXECUTIVE DIPLOMA IN BUSINESS VALUATION

02 EXECUTIVE DIPLOMA IN COST & MANAGEMENT ACCOUNTING FOR ENGINEERS

03 CERTIFICATE COURSE IN ARBITRATION

04 CERTIFICATE COURSE IN GOODS AND SERVICES TAX (GST)

➢ **Journal & Publications**

Publication of Quarterly “Research Bulletin” and monthly “The Management Accountant” journal on regular basis.

Souvenir for NCC – 2018

The Directorate of Journal & Publication prepared the Souvenir for the 58th National Cost Convention, held at New Delhi in March 2018. This was highly acclaimed by the eminent personalities.

Increase in readership of Journal

The Management Accountant journal is now available in the 92 countries across the world and we are continuously trying to increase the same to other parts of the world.

Availability of Apps

The Management Accountant journal is now available on apps for reading through third parties viz. Magzter and Readwhere and we are also trying to enlist the same to other platforms mainly at the International Level.

Printed Hard Copies on self-sustainability basis

The Management Accountant journal is now available in printed hard copy on the high quality glossy paper and is distributed to all the members of the Institute, UGC approved universities and colleges. Journal is also distributed to all the eminent personalities and the ministries. We have received overwhelming responses from the readers mainly from the other parts of the world.

Research Bulletin – A peer-reviewed Quarterly Journal of the Institute

Published Research Bulletin Vol.43, No. II, July 2017, non-theme issue; Vol.43, No.III, October 2017 was on the Theme-Advanced Financial Management; Vol.43, No. IV, January 2018 issue was again a Non-theme one. Vol.44, No. I, non-theme issue will be published shortly.

- **Training, Placement & Counselling**

  - The Placement Directorate works closely with Corporate Sector to groom students as per industry requirements. Placement Cell of the Institute intends to provide 100% placement assistance to all CMA students and offers support, guidance and assistance to them at pre-placement stage which is immensely helpful in grabbing a lucrative job.
  - The Institute organized campus placement program for the CMAs qualified in June 2017 term examination pan India basis and placed around 170 CMAs in campus placement.
  - CMA Campus Placement Drive for December 2017 term qualified CMAs was conducted successfully across India.
  - 250 budding CMAs are placed in different renowned companies through campus placement drive across India during the month of April - May 2018.
  - This year the Institute organized Summer Campus Placement Drive Program pan India basis for the first time to facilitate qualified CMAs with lucrative job opportunities.

- **Certificate in Accounting Technicians (CAT)**

The Certificate in Accounting Technicians (CAT) course was introduced for 12th (10+2) passed and Under Graduates as an employment oriented course in the year 2008 to meet the huge challenge being faced by the country in developing employable skills among the youth, as there is wide gap between the skills possessed by the youth and the skills required by the industry. Keeping this huge challenge many State Governments and the Union Government have started focusing on developing employable skills among the youth. The Institute has taken a firm and innovative step in developing skills among the youth in the important area of Accounting by taking the CAT Course to the unreached areas of the country.

This Course has been introduced in consultation with Ministry of Corporate Affairs, Government of India. CAT equip students become well versed with the maintenance of accounts, preparation of Tax Returns, Filling of Returns under Companies Act, Filling of Returns under Income Tax, GST, Custom Act, Export & Import documentation etc.

We are committed to take the following Agenda:

- Expanding CAT Course in other States
- Continuous monitoring and improving the contents of CAT Course
- Industry Linkage
- Improving the Placement opportunities for CAT Students
- Reaching the unreached

- **Secretariat Department**

- Secretariat Department is entrusted in activities relating to coordination among various Departments / Directorates, Head of the Departments, Committee Secretaries as well as Co-ordinating with various Regions and Chapters for

conducting Elections, Meetings etc. Maintaining liaison with various Government and non-Government Organizations and authorities on regular basis.
- Membership Drive assignment.
- Work relating to Cost Convention, Global Summit, Book Fair, Women empowerment programme, Student convocation etc. as and when needed.
- Providing reply to the RTI and Disciplinary related cases and their replies.
- Consolidation of MIS received from different Departments / Directorates.

➢ **Directorate of Examination**

The summary of examinations held in the year 2017 is given below by the Directorate of Examination. Examination was conducted twice in a year; in the month of June & in December for Foundation, Intermediate, Final and Diploma courses. The Examination was conducted in 113 examination centers including 3 overseas centers in June 2017 and in December 2017, there were 117 examination centers including 3 overseas centers. In total there were 47,865 examinees in June 2017 term of examination and 50,241 examinees had applied in the examination in December 2017 term. With the active support of the Chairman and the members of the Examination Committee and all concerned, results of all the examinations were published smoothly adhering to the time schedules and conforming to the standards. Results of verification of marks for both June 2017 and December 2017 terms of examination were hosted in the website of the Institute (www.icmai.in).

➢ **Activity Report of Technical Directorate**

- **Cost Accounting Standards Board**

The Board took up the revision of CAS – 4 in view of implementation of GST in the Country. To take up the issue the Board formed a small group to finalise the draft of revised CAS-4 to be discussed in the Board meeting. The Board discussed the draft in the meeting of the CASB and the discussions are still going on to finalise the draft.

- **Cost Auditing and Assurance Standards Board**

The Board has decided to frame FAQs on 4 SCAs approved by the Government and for this inputs were sought from the members. The Board also decided to have basic awareness programs on Standards on Cost Auditing among the members of the Institute.

- **Technical Cell on Cost Audit, Compliance and others**

Technical cell discussed and finalised the replies to the queries of the members relating to Cost Records, Cost Audit and Cost Rules.

- **Other Important Tasks**

The Technical Department prepared detailed analysis of the Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules 2017 and the same was uploaded in the website.

➢ **Legal Department**

Activities of Legal Department (2017-2018)

Legal Department of the Institute facilitates the need of legal support to various Directorates and Departments of the Institute. The major activities of the department during the period 2017-2018 are as follows:

1. Liaison/Co-ordination with Lawyers

2. Empanelled Advocates, pan India basis

3. Drafting of M O U and various Agreements

4. Coordinating with chapters and other departments in property related matters

5. Vetting of the tender terms and conditions

6. Preparing/Vetting the draft replies to be sent in case of dispute

7. Assisting the concerned authority to liaison/ interacting with Ministry of Corporate Affairs, and other authority

➢ **International Affairs Department**

South Asian Federation of Accountants (SAFA)

CMA Dr. PVS Jagan Mohan Rao, Central Council Member has been unanimously elected in the Council Meeting of the Institute held at New Delhi on 20th December, 2017 for the position of Vice President of South Asian Federation of Accountants (SAFA) which is an apex body of SAARC and taken the charge with effect from 1st January, 2018.

During the year, the department coordinated the meetings of South Asian Federation of Accountants (SAFA) which were attended by the members of the Council and they also participated in the Conferences organized by SAFA member bodies.

Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)

The department coordinated the meetings of Confederation of Asia and Pacific Accountants (CAPA) during the year which were attended by the representatives of the Institute

International Federation of Accountants (IFAC)

The Department coordinated the meetings of International Federation of Accountants (IFAC)and made arrangements for the Council members represented the Institute

- International Federation of Accountants (IFAC) held its Ordinary Council meeting during 15th-16th November, 2017 at Belgium. Chairman- International Affairs & Sustainability Committee represented the Institute in this meeting and event.
- Council member who is also Member of IFAC Professional Accountants in Business (PAIB) Committeealong with his Council colleague as Technical Advisor attended the Committee meeting held on 27th & 28th March, 2018 at New York.

➢ **President's Office**

President's office at Delhi and Kolkata facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with departments of the Institute and external agencies. It may not be involved with the activities directly but indirectly there are many actions taken by the President's Office for the ease of coordination. The department also carried out various tasks, jobs and assignments assigned by Council Members, Past Presidents and Higher Officials of the Institute. Some of the key initiatives are as follows:

- **58th National Cost Convention:**
- **Coordination for IEC Meetings:**
- **Correspondence with Ministries, Government Departments and agencies:**
- **Technical Support to President & Vice-President**
- **Support to all major events of the Institute:**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Council of The Institute of Cost Accountants of India

Report on the Financial Statements for the year ended 31st March 2018

1. We have Audited the accompanying Financial Statements of the Institute of Cost Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, the Income & Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated the accounts of Headquarters, reflecting total assets of Rs. 169.03 Crores and total revenue of Rs. 58.09 Crores (net of inter – region/ chapter transactions) audited by us having been appointed by the Council of the Institute. The Audited Accounts of 4 Regional councils namely Northern India Regional Council (NIRC), Eastern India Regional Council (EIRC), Western India Regional Council (WIRC) and Southern India Regional Council (SIRC) reflecting total assets of Rs. 38.45 crores and total revenue of Rs. 9.76 crores audited by other auditors have also been incorporated.

This Financial Statement further includes Financial Statements of 92 Chapters, including the accounts of 7 chapters which have not been signed by respective Auditors, reflecting total assets of Rs. 95.21 Crores and revenue (including reimbursement) of Rs. 20.56 Crores, audited by other auditors, appointed by the respective Regional Councils and Governing Bodies of the Chapters in terms of regulation 133 of the ICWA Regulation 1959, and clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the

Management of the Institute. 7 chapters which have not been signed reflecting total assets of Rs. 4.05 Cores and revenue of Rs. 1.17 Cores.

Consolidated Financial Statements does not include audited accounts of 3 Chapters for which Audited accounts have not been received. Balance Sheet figures in respect of latest Audited accounts as detailed below have been incorporated: -

Sl. No.	Name of the Chapter	Last Audited Accounts included for consolidation purpose in the Financial Year 2017-18
1	Jabalpur Chapter	Year 2015-16*
2	Ghaziabad Chapter	Year 2013-14
3	Bhadravati-Shimoga Chapter	Year 2015-16

* Informed by the Chapter that there is no financial transaction in the previous two years.

Consolidated Financial Statements 2017-18 of the Institute includes 85 Audited Chapters out of which 26 Chapters were audited by Chartered Accountants and 59 Chapters were audited by Cost Accountants.

2. Managements' Responsibility for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditor's Responsibility

3.1 Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our Audit. We conducted our Audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

3.2 An Audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the Auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Institute's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An Audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Qualified Audit Opinion on the Financial Statements of the Institute.

4. Emphasis of Matter Paragraph

We draw attention to the following notes on the Financial Statements of the Institute requiring emphasis by us. Our opinion is not qualified in respect of these matters.

1. In case of Northern Indian Regional Council (NIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), based on the decision taken in the Executive Committee meeting held on date 6th October, 2015 and further confirmed by Regional council meetings held on 22.11.2015, 27.11.2015 and 25.05.2016 respectively, a Debit note amounting to Rs. 41.44 Lacs had been raised on the then Chairman for the year 2014-15.The Regional council in its meeting dated 31.05.2017, decided to file a recovery suit for an amount of Rs. 41.44 lacs plus Interest @12% p.a. (Rs. 3.31 Lacs) totaling to Rs. 44.75 Lacs from the date of such money becoming recoverable from the then chairman for the year 2014-15 which has not been booked in revenue

account, as a claim for such recoveries has been filed with the Hon'ble Delhi High Court and the decision is pending.

Such incorporation of NIRC accounts inclusive of the said debits are subject matter of a writ petition filed before the Hon'ble High Court of Delhi mentioned herein before. Hence the whole matter is sub-judice.

2. In case of Northern Indian Regional Council (NIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI),the council has the outstanding Tax Demand of Rs. 1,55,130/-. Since NIRC is following up the matter with Income Tax authorities, no provision has been made in the books in respect of penal interest that may become payable as NIRC is of the opinion that such demands may not stand valid as same needs rectifications and follow up with the Income Tax department, although the provision/adjustment for the outstanding demand has been made in the books of Accounts.

3. Balance of GST input credit as on 31.03.2018 amounting to Rs. 1,15,10,266/- has been charged to Income & Expenditure Account.

4. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India(ICAI), in terms of the orders dated 27th May 2015 passed by the Presiding Officer of the Disciplinary Committee, in complaint no. Com/21-CWA (9) 2010, the following orders were imposed against a Member in terms of Sec 231B(3) CWA Act, 1959 read with rule 19(1) of the Cost and Works Accountants (procedure of Investigations of Professional & Other Misconduct and conduct of cases), Rules 2007.

   - "Reprimanding the Member
   - Repayment of the entire amount of Rs. 64,461/- to EIRC of Institute plus equivalent amount of fine to be paid within 30 days of service of the order and
   - Removal of the name from the register of Member for period of one year from date of the service order"

   Accordingly, Rs. 1,22,922/- was recoverable from the concerned person.

   An appeal was preferred before the appellant authority of the Institute of Cost Accountants India and the said appellant Authority by virtue of order 09/04/18 in exercise of the powers conferred upon this said authority under clause (C) of sub section (2) of section 22E of the Cost and Works Accountants Act has stayed the operation of the Impugned Order passed by the Disciplinary Committee of the Institute till the completion of the directions for which the, matter is being remitted to the Disciplinary Committee of the Institute of Cost Accountants of India for under taking the aforesaid proceeding for the purpose as mentioned under Para(12) of the order dt.09/04/2018 and to pass fresh Order.

5. Basis for Qualified Opinion

1. In respect of Freehold and Leasehold Land & Building valued at Rs. 57.73 lacs pertaining to 7 chapters and 1 regional Council, no deed of conveyance was made available for our verification.

   Original deed of conveyance of Freehold and Leasehold Land & Building in the name of the Institute of Rs. 107.99 lacs, pertaining to 3 regional councils and 10 chapters were not available for our verification.

   14 properties valued at Rs. 183.4 lacs are in the name of the Chapters in contravention of Regulations, 85(1) (e) & 99(f) of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, inclusive of 12 properties valued at Rs. 172.08 lacs for which original deeds of conveyance were not available for our verification.

2. The Original "Title Deed" of Land and Building pertaining to the undernoted units were not in the possession of the Institute Management as the same have not been handed over to them. The details are attached as "Addendum –A" to this report. Hence we are unable to comment on the status of the Title of the Land and Building physically held by the Institute.

3. The Indore Municipal Corporation (IMC) has not raised any property tax bill in the name of the Indore Institute Chapter since the acquisition of the property. As a result of the same no payment/provision has been recognized in the Books of Accounts of the Chapter. This amounts to Rs. 1,74,859/- w. e. f 2005-06 to 2017-2018.

   Since the property in question is subject to the Municipal Tax hence in view of the accrual basis of accounting the provision for the Municipal Tax on the said property should have been recognized in the Books of Accounts of the Chapter right from its acquisition. Hence, we are unable to comment upon the correctness of the said Balance lying in Current Account and Chapters.

4. No confirmations have been received from Regional Councils and Chapters against an amount of Rs. 404.08 lacs shown under Current Accounts with RC and Chapters.

5. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), a Capital W.I.P of Rs.1,60,44,103/- has been shown in the Balance sheet since 2014-15 although the said items were

already put to use during the year F.Y. 2015-16. No depreciation has been provided on such addition. This has the effect of understatement of Revenue Expenses and overstatement of Fixed Assets, the quantum of which has not been determined.

6. The Institute has accounted for Leave Encashment on payment basis. According to the Accrual basis of accounting the Provision for Leave Encashment should have been recognized for each year which was not done till 31st March 2018. This has resulted in the over statement of the surplus of the Institute for the year then ended.
7. As a result of the expiry of the Lease Agreement of the Apartment between Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India(ICAI) and the State Bank of India, Harish Mukherjee Road Branch- Kolkata 700025 on 31st December 2012 and the non-renewal of the same till 31st March 2018, the Eastern India Regional Council has neither received any rent from the State Bank of India, till the year ended 31st March 2018, nor the said Branch of State Bank of India has vacated the property mentioned above. As a result of this there is a loss of revenue for the year ended 1st January 2013 to 31st March 2018.
8. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India(ICAI), Sundry Debtors amounting to Rs. 10,74,311/- are lying unadjusted / unrecovered since last three years, which is subject to reconciliation & confirmation. The Institute has not made any provision for Bad & Doubtful Debts against these Debtors. Hence we are not in a position to ascertain or comment on the recoverability of those Debtors Balances and the resultant impact of the same on the Financial Statement of the Institute.
9. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India(ICAI), Other Advances amounting to Rs. 13,10,101/- is remaining unadjusted / unrecovered for a period more than three years. The Institute has not made any Provision against these unadjusted / unrecovered Advances. In view of the above we are not in a position to comment upon the correctness and recoverability of these Other Advance Balances and its resultant impact on the Financial Statements of the Institute.
10. In case of works contract awarded by the Cochin Chapter of Southern India Regional Council (SIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), for construction of Building at Chalikkavattom, GraminaVayanashala Road, Vytilla, Ernakulam, the awarder is responsible for deduction of tax (WCT) for those works contract as it involves both supply of materials and labour. Cochin chapter is liable to deduct and pay the works contract tax from the contractors before the payment is made to them unless a certificate in Form No. 1EE is collected from respective contractors. In the case of works contracts amounting to Rs. 64,11,743/- the Form no. 1EE is not obtained. The works contract tax liability on the above will be Rs. 5,13,000/- plus the interest. The chapter has not taken WCT Registration, as all contractors are registered with the tax department, and have agreed to submit Form 1EE.
11. Land Tax payment of Cochin Chapter of Southern India Regional Council (SIRC) of Institute of Cost Accountants of India (ICAI), is pending from the year of purchase of Land in 1992.
12. The Institute is carrying in its Inventory Old Stock of Syllabus and Compact Disks amounting to Rs. 38,73,847/- dating back to 2012. Since the above are no more usable, these should have been written off through the "Income and Expenditure Account".
13. It has been observed that in case of Advance made to the Examination Centre for conducting the examinations, the Institute follows the practice of charging off those Advances through the Income & Expenditure Account. The routing of the payment of Advances through Income and Expenditure Account has resulted in overstatement of expenditure of the unit.

    It is also observed that no TDS has been deducted from the payment of such Advance u/s 194 C of Income Tax Act, 1961.
14. Sundry Debtors amounting to Rs. 3,31,677/- of Delhi (HQ) is lying unadjusted / unrecovered since last three years, which is subject to reconciliation & confirmation. The Institute has not made any provision for Bad & Doubtful Debts against these Debtors.
15. An Advance of Rs. 1,25,00,000/- was paid to M/s Naigree Builders and Developers Private Limited in 2013 for acquiring a new premise for Patna Chapter of ICAI which was appearing as Capital WIP. Till 31st March 2018 no such premises has been acquired.

    However Rs 5,00,000/-was refunded *(*As per RDB Summary Report (Others) dt.05/05/18 for 01/03/18-31/03/18 and balance Rs.1,20,00,000/- was transferred to "Advance for Patna Land" via JV/PATNA WIP/17-18 Dt: 31/03/18.
16. In case of Western Indian Regional Council (WIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), the Council has some non-reconciled balances appearing in Claim Receivable and Claims Suspense (Cr.) Accounts as at 31st March 2018.

    The details are given as under:-

Account Head	Amount(Rs.)
Claims Receivable	21,58,741 Dr.
Claims Receivable from Architect:	67,30,000 Dr.
Claims Suspense (2013-2014):	20,77,565 Cr.
Claims Suspense (2014-2015):	81,176 Cr.
Claims Suspense- Architect:	67,30,000 Cr.

In view of non-confirmation of those outstanding balances, we are not in a position to ascertain and comment on the correctness of those Balances and its resultant impact on the Financial Statement of the Institute.

The Management in their 294th Council Meeting held on 31st July 2015 opined that these Receivable Accounts are fully recoverable.

17. Out of all income of the Institute, only Membership Fee, Advanced Studies and NCC are subject to GST, hence proportionate input is to be availed while setting off GST Output Tax. But in 2017-18 the entire Output has been set off against available input. To rectify this Input Credit amounting to Rs.49,48,660/- has been reversed which has resulted short payment of GST amounting to Rs.49,48,660/- and related interest.

18. As per Clause 18 of Chapter bylaws the Managing Committee of the Chapter shall adopt the Audited Accounts of the Chapters in AGM. However for the following five Chapters the Accounts are considered for consolidation though the Accounts are not adopted in their

AGM :-

a) Agra Mathura,
b) Bokaro,
c) Naya Nangal,
d) Jajpur Keonjhar,
e) Jamshedpur.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us except for the possible effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph the financial statements of the Institute of Cost Accountants of India give the information in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India of the state of affairs of the Institute of Cost Accountants of India as at 31st March 2018, and its Surplus and its Cash Flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Subject to above we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit, except in case of a few small chapters,

b. In our opinion proper books of account as required by Law have been kept by the Institute of Cost Accountants of India so far as appears from our examination of those books (and proper returns adequate for the purpose of our Audit have been received from the Regions and Chapters not visited by us, unless otherwise stated in Paragraph 1 above);

c. The reports on the accounts of the regional and chapter offices of the Institute audited by the auditors of respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report;

d. Subject to our Observations mentioned in Basis for Qualified Opinion Paragraph above we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and the returns received from the regions & chapters not visited by us.

For B M CHATRATH & CO LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

Date: 29.09.2018 **CA Sanjay Sarkar**
Partner

Place: Kolkata Membership Number: 064305

Addendum –A

SL	Name	Status of Deed	Particulars
Freehold Land & Building			
1	Ahmedabad (Flat No 303)	No Deed	No Deed
2	Baroda (Phoenix Complex)	Photocopy	Registered in the name of the Institute and signed by the Secretary of the Institute.
3	Bhopal	No Deed	Photocopy of Agreement of Sale. Registered in the name of the Chapter and signed by the Chairman of the Chapter.
4	Kalayan –Amarnath (Freehold Land 2007-08)	No Deed	No Deed
5	Nasik Ojhar (Flat 308,309,310)	Photocopy	Registered in the name of the Chapter and signed by the Senior Director of the Institute.
6	Southern India Regional Council (SIRC)- Chennai	Photocopy	Registered in the name of the Institute
7	Bangalore	Photocopy	Registered in the name of the Institute and signed by the President of the Institute.
8	Triuchirapalli	Photocopy	Registered in the name of the Institute and signed by the Secretary
9	Trivandrum	Photocopy	Registered in the name of the Institute signed by the Chairman of the Chapter.
10	Eastern India Regional Council (EIRC)- Kolkata	Photocopy	Registered in the name of the Institute.
11	Asansol	Photocopy	Registered in the name of the Institute.
12	Dhanbad-Sindri	Photocopy	Registered in the name of the Chapter. Executed by the Vice Chairman of the Chapter.
13	Serampore	Photocopy	Deed of Conveyance. Registered in the name of the Chapter. Executed by the Chairman of the Chapter.
14	Ranchi	Photocopy	Registered in the name of the Chapter. Signed by the Secretary of the Chapter.
15	Chandigarh Panchkula	No Deed	No Deed
16	Goa	Photocopy	Certified true copy in the name of the Institute.
17	Surat South (Flat No 220)	Photocopy	Certified copy received. Registered in the name of the Chapter. Not signed by the authorized representative of the Chapter.
18	Hyderabad-Himayatnagar	Photocopy	Certified copy received. Registered in the name of the Institute. Represented by Shri A.V. Ramana Rao, CCM ICAI.
19	Indore Dewas	Photocopy	Certified copy received. Registered in the name of the Chapter. Signed by the Chairman & Secretary of the Chapter.
20	Western India Regional Council (WIRC) - Mumbai	No Deed	No Deed
Leasehold Land			
1	WIRC CIDCO Land (Navi Mumbai)	Photocopy	Registered in the name of the Institute and signed by the Secretary of the Institute.
2	Bhilai Chapter	Photocopy	Registered in the name of the Chapter and signed by the Secretary of the Chapter.

3	Ukkunagaram	Photocopy	Lease taken from Rashtriya Ispat Nigam Ltd. Registered in the name of the Chapter and signed by the Secretary of the Institute.
4	Bhubneswar	Photocopy	Registered in the name of the Chapter and signed by the Secretary of the Chapter.
5	Bokaro Steel City	No Deed	No Deed
6	Northern India Regional Council (NIRC) – New Delhi	Photocopy	Registered in the name of the Institute and signed by the President of the Institute.
7	Kanpur	Photocopy	Certified Copy. Registered in the name of the Institute and signed by the Secretary of the Institute.
8	Lucknow	Photocopy	Lease taken from the Lucknow development Authority. Registered in the name of the Chapter and signed by the Secretary of the Institute.
9	Udaipur	Photocopy	Registered in the name of the Chapter and signed by the Secretary of the Chapter.
10	Allahabad Chapter	Photocopy	Registered in the name of the Chapter and signed by the Chairman of the Chapter.
11	Kota	No Deed	No Deed

The Institute of Cost Accountants of India
Balance Sheet as at 31st March,2018

Previous Year 2016-17	PARTICULARS	SCH. NO.	Current Year 2017-18	
Rs.			Rs.	Rs.
	INSTITUTE FUND :			
2,61,57,11,488	General Fund	**(1)**		2,73,28,61,414
11,27,361	Employees' Gratuity Fund	**(2)**		14,54,430
79,54,857	Misc. Prize Fund	**(3)**		83,75,218
2,42,12,577	Other Funds	**(4)**		1,29,63,634
2,64,90,06,283	**TOTAL**			**2,75,56,54,696**
	REPRESENTED BY :			
	Fixed Assets :	**(5)**		
1,14,50,94,330	a) Gross Block		1,15,07,36,244	
42,89,29,593	b) Less Depreciation		48,32,59,364	
71,61,64,737	c) Net Block			66,74,76,880
12,23,44,524	Capital Work In Progress			13,48,01,939
11,00,50,750	Investment	**(6)**		11,00,50,750

1,87,37,25,539	Current Assets	**(7)**	2,05,79,10,663	
3,22,26,319	Loans & Advances	**(8)**	5,69,19,417	
1,90,59,51,858			**2,11,48,30,080**	
20,55,05,586	Less : Current Liabilities & Provisions	**(9)**	27,15,04,953	
1,70,04,46,272	**NET CURRENT ASSETS**			1,84,33,25,127
2,64,90,06,283	**TOTAL**			**2,75,56,54,696**
	Notes to Accounts	**15**		

Schedules referred to above form part of the Accounts

As per our report attached.

For **B M Chatrath & Co LLP**

Chartered Accountants
Firm Regn. No. : 301011E/E300025

CMA Arup Sankar Bagchi
Director(Finance)

CMA L. Gurumurthy
Secretary (Acting)

CA Sanjay Sarkar
Partner
Membership No. : 064305

CMA Balwinder Singh
Vice President

CMA Amit Anand Apte
President

Place : Kolkata
Dated : 29.09.2018

The Institute of Cost Accountants of India
Income and Expenditure Account
for the year ended 31st March,2018

Previous Year 2016-17 Rs.	PARTICULARS	Sch. No.	Current Year 2017-18 Rs.
	INCOME :		
4,71,14,277	Membership & Other Fees	**(10)**	4,29,89,740
44,41,25,764	Tuition & Other Fees	**(11)**	50,99,72,043
14,88,53,612	Examination & Other Fees	**(12)**	15,84,00,672
1,66,82,735	C. P.D & Other Programme Fees		3,23,99,883
11,09,420	Journal Subscription incl. Advertisement		10,94,290
6,86,242	Sale of Publication		11,78,115
12,21,41,986	Interest		13,12,10,694

72,54,280	Other Income		69,33,423
78,79,68,316	**Total :**		**88,41,78,860**
	EXPENDITURE :		
24,24,62,674	Establishment	**(13)**	24,41,57,970
10,51,29,729	Office Expenses	**(14)**	11,07,95,802
15,07,166	Statutory Audit Fees		16,22,892
1,14,55,051	Travelling & Conveyance		1,44,06,034
9,83,70,855	Examination Expenses		9,63,75,805
2,29,65,914	Council & Committee Meeting Expenses		2,53,23,823
-	Election Expenses incl. Tribunal		2,80,438
1,64,96,887	Journal Expenses		48,89,018
76,39,448	Membership Subscription to Foreign Bodies		1,11,61,507
24,16,403	Conference & Meeting International		30,22,304
2,09,17,244	C. P.D, Technical Skill Development & Other Programme Expenses		3,13,11,358
1,27,60,561	Professional Development Expenses		1,49,42,939
10,82,44,992	Coaching Expenses		11,02,87,790
1,88,09,305	Study Materials & Prospectus Consumed		2,55,03,476
3,59,145	Publication Stock Consumed		5,67,606
40,05,128	Sundry Assets Written Off (Stock & Debtors)		1,22,57,836
3,00,226	Doubdtful debt (Sundry debtor)		-
6,90,54,319	Depreciation	**(5)**	5,78,27,743
74,28,95,047	**TOTAL**		**76,47,34,341**
4,50,73,269	**Balance being excess of Income over Expenditure c/d**		**11,94,44,519**
(48,16,432)	Prior Period Adjustment (Net)	**(14A)**	(50,53,508)
4,02,56,837	**Balance being Surplus/(deficit) of Expenditure transferred to General Fund**		**11,43,91,011**

Schedules referred to above form part of the Accounts

As per our report attached.

For **B M Chatrath & Co LLP**

Chartered Accountants
Firm Regn. No. :
301011E/E300025

CMA Arup Sankar Bagchi
Director(Finance)

CMA L. Gurumurthy
Secretary (Acting)

CMA Balwinder Singh
Vice President

CMA Amit Anand Apte
President

CA Sanjay Sarkar
Partner
Membership No. : 064305

Place : Kolkata
Dated : 29.09.2018

The Institute of Cost Accountants of India

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS

SCHEDULE NO.1 :

GENERAL FUND
as at 31st March,2018

Previous year 2016-17 Rs.	PARTICULARS	Current year 2017-18 Rs.
2,55,42,68,869	Balance as per Previous Balance Sheet	**2,61,57,11,488**
	Add :	
2,12,13,423	i) Capitalization of Chapter's Land & Building	
(24,78,275)	ii) Transfer from Library Fund	-
2,57,30,04,017		**2,61,57,11,488**
2,57,30,04,017		**2,61,57,11,488**
24,50,634	Add : Entrance Fees (Member)	27,58,915
2,57,54,54,651		**2,61,84,70,403**
4,02,56,837	Add : Net Surplus for the year as per Income & Expenditure Account	11,43,91,011
2,61,57,11,488	**Total**	**2,73,28,61,414**

SCHEDULE NO. 2 :
EMPLOYEES' GRATUITY FUND
as at 31st March,2018

Previous year 2016-17 Rs.	PARTICULARS	Current year 2017-18 Rs.
15,31,916	Balance as per Previous Balance Sheet	**11,27,361**
3,25,892	Add : Contribution for the year	2,70,024
18,57,808		**13,97,385**
71,971	Add : Interest earned on Fixed Deposit	57,045

	of Fund for the year	
8,02,418	Less : Gratuity paid to Employees' during the year	-
11,27,361	**Total**	**14,54,430**

SCHEDULE NO. 3 :
MISC. PRIZE FUND
as at 31st March,2018

Previous year 2016-17 Rs.	PARTICULARS	Current year 2017-18 Rs.
75,99,950	Balance as per Previous Balance Sheet	**79,54,857**
1,53,688	Add : Addition during the year	2,41,461
6,25,060	Add : Income credited during the year	2,55,302
(4,23,841)	Less : Cost of the prize	(76,402)
79,54,857	**Total**	**83,75,218**

SCHEDULE NO. 4 :
OTHER FUND
as at 31st March,2018

Previous year 2016-17 Rs.	PARTICULARS	Current year 2017-18 Rs.
30,32,683	Building Fund	5,46,134
32,13,883	Library Fund	62,961
1,79,66,011	Misc. Fund	1,23,54,539
2,42,12,577	**Total**	**1,29,63,634**

The Institute of Cost Accountant of India
SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS

SCHEDULE NO. 5 :
FIXED ASSETSas at 31st March,2018

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.17	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment of Fixed Assets during the period	Total as on 31.03.2018	Upto 01.04.2017	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment of Fixed Assets during the year	Upto 31.03.2018	This year 2017-18	Last year 2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
Tangible Assets :										
FREEHOLD LAND	15,89,74,020	18,19,800		16,07,93,820	-	-		-	16,07,93,820	15,89,74,020
LEASEHOLD LAND	6,44,31,250	53,251		6,44,84,501	63,57,728	8,32,057		71,89,785	5,72,94,716	5,80,73,522
FREEHOLD BUILDING	62,33,29,189	2,42,624	-	62,35,71,813	23,91,94,243	3,84,51,479	(1,51,088)	27,74,94,634	34,60,77,179	38,41,34,946
FURNITURE &										

FITTINGS	7,51,12,969	11,59,777		7,62,72,746	3,20,61,874	44,28,161	(9,02,614)	3,55,87,421	4,06,85,325	4,30,51,095
LIBRARY BOOKS	1,25,80,649	7,55,617	7,985	1,33,28,281	1,25,80,649	6,44,794	(3,23,113)	1,29,02,330	4,25,951	-
OFFICE EQUIPMENTS	8,70,62,817	81,709	(1,91,570)	8,69,52,956	3,93,16,082	72,84,378	(9,78,895)	4,56,21,565	4,13,31,391	4,77,46,735
GENERATORS	1,48,46,743	2,50,229	-	1,50,96,972	63,66,723	13,41,873	(2,43,096)	74,65,500	76,31,472	84,80,020
LIFT	1,40,63,133	-		1,40,63,133	48,79,374	13,77,564		62,56,938	78,06,195	91,83,759
MOTOR CAR	5,07,053	29,063		5,36,116	4,16,556	16,114	12,138	4,44,808	91,308	90,497
COMPUTER	5,37,81,710	7,41,370		5,45,23,080	5,14,74,519	16,35,234	(10,63,360)	5,20,46,393	24,76,687	23,07,191
CYCLE	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
Intangible Assets :										
SOFTWARE	4,03,96,429	7,08,029		4,11,04,458	3,62,73,477	18,16,089	1,52,056	3,82,41,622	28,62,836	41,22,952
	1,14,50,94,330	**58,41,469**	**(1,83,585)**	**1,15,07,36,244**	**42,89,29,593**	**5,78,27,743**	**(34,97,972)**	**48,32,59,364**	**66,74,76,880**	**71,61,64,737**
Previous Year	**1,06,78,24,092**	**8,23,92,314**	**(51,22,076)**	**1,14,50,94,330**	**37,07,73,369**	**6,90,54,319**	**(1,08,98,095)**	**42,89,29,593**	**71,61,64,737**	**69,70,50,723**
Capital-work in Progress									**13,48,01,939**	**12,23,44,514**

The Institute of Cost Accountants of India

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS

SCHEDULE NO. 6 :

INVESTMENT (AT COST)
as at 31st March,2018

Previous year 2016-17	PARTICULARS	Current year 2017-18
Rs.		**Rs.**
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
500	50 Shares of Rs.10/- each in	500
	Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited,Mumbai	
	(earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	
11,00,00,000	Investment in Insolvancy Professional Agency of ICAI (1,10,00,000 Nos. of paid up shares of Rs.10 each)	11,00,00,000
50,250	- Others	50,250
11,00,50,750	**TOTAL**	**11,00,50,750**

SCHEDULE NO. 7 :

CURRENT ASSETS
as at 31st March,2018

Previous year 2016-17	PARTICULARS	Current year 2017-18	
Rs.		Rs.	Rs.
	Stock :		
12,11,418	- Publication Stock (at Cost)		19,06,264
9,02,622	- Paper Stock (at Cost)		5,765
75,87,888	- Study Material incl.Prospectus Stock (at Cost)		1,15,50,850
11,14,196	- Stock of Other Material (at Cost)		18,30,905
2,02,12,200	Sundry Debtors	3,25,34,495	
(2,51,025)	Less : Provision for Doubtful Debtors	-	3,25,34,495
7,89,31,751	Other Receivables		7,44,58,426
	Cash and Bank Balances :		
13,47,465	Cash in hand		11,39,843
	Balances with Scheduled Banks :		
12,38,05,440	On Current Account		9,19,23,814
4,42,86,737	On Savings Account		4,55,92,290
1,59,45,76,847	**Fixed Deposits with Banks :**		1,79,69,68,011
1,87,37,25,539	**Total**		**2,05,79,10,663**

The Institute of Cost Accountants of India

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS

SCHEDULE NO.8 :
LOANS AND ADVANCES as at 31st March,2018

Previous year 2016-17	PARTICULARS	Current year 2017-18
Rs.		Rs.
1,33,457	Building Loan to Employees	-
21,170	Vehicle Purchase Advance to Employees	-
68,04,570	Other Advances	2,09,46,264
5,78,545	Festival Advance to Employees	5,10,925
-	Advance Membership Subscription to Foreign Bodies	35,86,019
1,76,18,388	TDS Receivable	2,47,74,496

19,45,472	Prepaid Expenses	14,61,610
51,24,717	Deposit	56,40,103
3,22,26,319	**Total**	**5,69,19,417**

SCHEDULE NO.9 :

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS
as at 31st March,2018

Previous year 2016-17	**PARTICULARS**	**Current year 2017-18**
Rs.		**Rs.**
	Current Liabilities :	
33,83,979	Library Deposit	31,80,858
2,88,89,142	Sundry Creditors	5,20,09,990
97,05,194	Current Account with RC & Chapter	4,04,08,071
14,95,44,952	Other Liabilities	15,55,36,793
43,76,869	TDS Payable	53,11,945
96,05,450	Provisions	1,50,57,296
20,55,05,586	**Total**	**27,15,04,953**

The Institute of Cost Accountants of India

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS

SCHEDULE NO.10 :

MEMBERSHIP & OTHER FEES :
for the year ended 31st March,2018

Previous year 2016-17	**PARTICULARS**	**Current year 2017-18**
Rs.		**Rs.**
3,88,88,902	Annual Membership Fees	3,45,32,979
66,64,511	Members Certificate of Practice Fees	70,55,770
17,875	Grad C.W.A. Fees	9,600
1,66,147	Members Complaint / Restoration Fees/Nomination Fees	4,01,192
18,500	Certified Facilitation Centre Fees	500
13,29,342	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	9,71,684
29,000	Certificate of Good Standing	18,015
4,71,14,277	**Total**	**4,29,89,740**

SCHEDULE NO.11 :

TUITION AND OTHER FEES :
for the year ended 31st March,2018

Previous year 2016-17 Rs.	PARTICULARS	Current year 2017-18 Rs.
1,29,01,000	Student Registration Fees	2,11,81,000
86,27,000	Practical Training Registration Fees	53,40,000
17,93,057	Practical Training/Subject Exemption Fees	33,88,234
36,72,53,048	Tuition Fees	41,69,04,223
3,75,33,254	CAT Course Income	4,65,35,559
79,11,599	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	78,37,661
16,52,661	Sale of Prospectus	34,08,926
64,54,010	Sale of Study Notes	53,74,940
135	Sale of Postal Coaching,Revalidation & Denovo Forms	1,500
44,41,25,764	**Total**	**50,99,72,043**

SCHEDULE NO.12 :

EXAMINATION AND OTHER FEES :
for the year ended 31st March,2018

Previous year 2016-17 Rs.	PARTICULARS	Current year 2017-18 Rs.
14,59,39,984	Examination Fees	15,42,49,803
28,93,250	Verification of Answers Paper Fees	41,47,569
-	Sale of Suggested Answer including Scanner	-
20,378	Sale of Exam. Forms	3,300
14,88,53,612	**Total**	**15,84,00,672**

SCHEDULE NO.13 :

ESTABLISHMENT
for the year ended 31st March,2018

Previous year 2016-17 Rs.	PARTICULARS	Current year 2017-18 Rs.
19,58,58,002	Salaries & Allowances	18,71,34,485
32,29,843	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	1,91,88,415
1,76,33,865	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	1,66,18,315
2,836	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	2,480

96,36,911	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	53,89,412
49,32,664	Employees' Leave Encashment - Existing	47,61,026
65,62,929	Medical Expenses	59,32,796
4,75,331	Leave Travel Allowance to Employees	3,48,697
8,10,193	RPFC Administration & E.D.L.I. Inspection Charges	13,64,245
33,20,100	Training & Development (H.R.D.)	34,18,099
24,24,62,674	**Total**	**24,41,57,970**

SCHEDULE NO.14 :
OFFICE EXPENSES
for the year ended 31st March,2018

Previous year 2016-17	PARTICULARS	Current year 2017-18
Rs.		Rs.
63,26,095	Printing & Stationery	64,94,059
1,13,85,214	Postage,Telegrams,Telephones & Fax	83,69,158
19,71,767	Internal Audit Fees	14,44,520
97,22,381	Electricity Charges	1,00,52,382
1,66,920	Generator Expenses	2,00,310
97,21,064	Rates & Taxes	25,47,020
11,28,223	Insurance	3,85,380
97,62,886	Repair & Maintenance	92,26,142
12,06,985	Car Expenses	13,78,755
10,470	Interest on Caution Money Deposit	10,720
25,60,470	Legal Charges	24,62,439
2,34,646	Bank Charges	2,77,266
29,77,436	Computer Maintenance Expenses	56,17,145
22,79,978	Public Relation Expenses	21,70,787
19,00,030	Watch & Ward Expenses	19,65,035
4,60,174	Books & Periodicals	4,52,305
1,22,047	Delegate Fee	1,96,651
3,40,845	Gazette Notification	3,18,775
24,34,231	Staff Welfare	24,85,050
	Advertisement Expenses for New Syllabus	
77,67,748	Rent	80,62,175
2,89,71,472	Administrative Charges	4,21,30,884
36,78,647	Sundry Expenses	45,48,844
10,51,29,729	**Total**	**11,07,95,802**

SCHEDULE NO. 14A : PRIOR PERIOD ADJUSTMENT as at 31st March,2018

Previous year	PARTICULARS	
2016-17		
Rs.		
	Prior Period Income	
1,94,041	HQ	1,02,829
10,87,416	WIRC	-
-	EIRC	-
14,628	NIRC	2,68,850
3,07,595	Chapters of WIRC	55,554
42,190	Chapters of SIRC	-

96,000	Chapters of EIRC	-
2,85,661	Chapters of NIRC	82,951
20,27,531	**Total (A)**	**5,10,184**
	Prior Period Expenses	
62,19,341	HQ	36,23,676
7,135	EIRC	12,32,993
97,703	NIRC	3,54,885
4,22,958	Chapters of WIRC	63,933
4,018	Chapters of SIRC	1,62,080
37,600	Chapters of EIRC	
55,208	Chapters of NIRC	1,26,125
68,43,963	**Total (B)**	**55,63,692**
(48,16,432)	**PRIOR PERIOD ADJUSTMENT (A-B)**	**(50,53,508)**

CASH FLOW STATEMENT as at 31st March,2018

	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
4,02,56,837	NET SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	11,43,91,011	
6,90,54,319	ADD- DEPRECIATION	5,78,27,743	
10,93,11,156	OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	**17,22,18,754**	
1,84,33,643	**INCREASE IN CURRENT LIABILITIES**	6,59,99,367	
(2,06,10,209)	INCREASE IN CURRENT ASSETS	3,72,70,753	
3,90,43,852		2,87,28,614	
14,83,55,008	NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES		20,09,47,368
	CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
3,84,57,865	**PURCHASE OF FIXED ASSETS**	1,80,99,329	
11,10,50,250	DECREASE IN INVESTMENT		
14,95,08,115	**NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES**		1,80,99,329
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
17,71,609	**INCREASE IN CAPITAL**	(1,12,40,570)	
17,71,609	**NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES**		(1,12,40,570)
6,18,502	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT		17,16,07,469
1,76,33,97,987	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		
1,76,40,16,489	CASH & CASH EQUIVALENT AS AT 31.03.2018		1,93,56,23,958

13,47,465	Cash	11,39,843	
1,59,45,76,847	Fixed Deposit	1,79,69,68,011	
12,38,05,440	Bank Balance - Current A/c	9,19,23,814	
4,42,86,737	Bank Balance - Savings A/c	4,55,92,290	
1,76,40,16,489		1,93,56,23,958	

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

Schedule – 15

A. Significant Accounting Policies:

1. Basis for preparation of Financial Statements :

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, the applicable Accounting Standards, the relevant provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959, as amended and are on accrual basis unless otherwise stated.

2. Basis of Consolidation

The financial statements of HQ (Kolkata) and New Delhi office and its Four Regional councils and Ninety Five Chapters are consolidated by adding together the value of assets and liabilities, income and expenses after

eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/deficit. Necessary adjustments are made wherever required.

3. Entrance Fee

Entrance Fee received from members is capitalized.

4. Registration Fee

Registration Fee received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled.

5. Revenue Recognition :

The Institute recognizes significant items of income on the following basis:-

a) Members' Subscription

Membership Subscription is recognized in the year to which it pertains.

b) Tuition and other Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled**.**

c) Sale of Publication

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

d) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term(s) to which it pertains.

e) Others

Revenue from Programme Fee is recognized as and when such activity is undertaken.

f) Interest

Income from interest for the year due on Fixed Deposit with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount outstanding and the applicable rate.

g) Income from Investments is recognized as and when the right to receive the payment is established.

6. Expenditure:

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

i. The Annual Grants to Chapters are recognized as and when disbursed.

ii. Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

7. Fixed Assets:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost comprises the purchase price and any other cost attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. Assets under creation are shown as capital work-in-progress.

8. Depreciation/Amortization :

a) Depreciation on Fixed Assets is provided on written down value method as per Income Tax Act,1961.

b) Book Value of Leasehold land including premium paid thereon are amortized over the Lease period. The ground rent if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.

c) Library books are depreciated at 100% in the year of purchase.

9. Investments :

Long term investments are stated at cost. However, when there is a decline other than temporary, in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

10. Inventories :

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at Cost or Net Realizable Value whichever is lower. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on weighted average basis and cost of paper is determined on first-in-first-out basis.

11. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

i. A provision is recognized:-

a) When there is present obligation as a result of past event;

b) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and

c) A reliable estimate can be made of the amount of obligation.

ii. No provision is recognized for:

a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;

b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

12. Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the period in which it arises.

13. Employee Benefits:

i. Short term benefit:

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

ii. Post-Employment benefit such as P.F, Gratuity, Leave Encashment etc. are provided as applicable to Head Quarter, respective Regional Councils and Chapters.

14. Impairment of Assets :

At the Balance Sheet date impaired assets, if any are identified and necessary provision as required is made.

15. Prior Period income/expenditure:

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Income & Expenditure Account.

B. Notes forming part of Accounts

1. The consolidated financial statement is prepared considering Head Quarter Kolkata, New Delhi office, four Regional Councils and Ninety two Chapters out of which four accounts are unaudited viz. Hardwar-Rishikesh, Bharuch-Ankleshwar, Patiala, Trivandurm,Agra-Mathura, Naya Nangal and Jajpur-Keonjhar.

   Accounts of three chapters namely Jabalpur (no transactions during 2016-17 and 2017-18), Bhadravati-Simoga and Ghaziabad are not included having not been received. However previous year balance sheet figures of these chapters have been considered for consolidation (Refer – Annexure I).
2. Assets and Liabilities of Jhagrakhand Chirimiri, Kobra, Konkon, Silchar and Chandrapur Chapter have been merged with the Institute since these Chapters are dissolved.
3. Exemption in respect of Income Tax has been granted u/s 10(23A) read with Section 11 of the Income Tax Act, 1961. As such no provision for Income Tax has been made. No provision for Deferred Tax Asset and Liability is considered necessary.
4. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investment in Fixed Deposit thereof. The funds have been sponsored by the different donors.
5. Fixed Deposit of Rs. 179,69,68,011/- includes Rs.37,11,529/- for Misc prize and other fund.
6. Other Advances include Rs. 1,36,097/- (previous year Rs.1,36,097/-) due from former Council Member owing to disallowances by the MCA, Govt. of India and presently the matter is sub-judice.
7. Statutory Audit Fees includes:-

   Statutory Audit Fees (HQ) (inclusive of GST) **Rs.4,92,267 /-**
8. (i) **Head Quarters**

   a) Provident Fund contributions are made to the Institute of Cost Accountants of India Employees Provident Fund Trust.

   b) The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act, 1972 (as amended) is Recognized on the basis of contribution made to the LICI against the Group Gratuity Policy.

   c) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LICI.

   d) Fixed Deposit of Rs. 77, 87, 25, 372/- /- includes Rs.29,18,957/- for Miscellaneous prize and other fund.

   (ii) EIRC

   a) Out of sundry debtors Rs 16, 30,077/- as on 31.3.2018, Rs 10, 74,311/- remain unrealized for more than three years.

   b) Advance of Rs 13,10,101/- is remaining unadjusted for more than 3 years. Necessary legal step is being contemplates by the Council for adjustment/recovery of the same.

   c) Gratuity Provision- pending receipts of intimation from LIC towards actuarial valuation of Gratuity liability, a sum of Rs 10,00,000/- has been deposited during the year on adhoc basis.

d) Since 2014-15, a sum of Rs.1, 60, 44,103/- has been shown as CWIP although the same has been used as regular assets since 2015-16. In absence of non capitalization of same due to some legal reason, no depreciation has been provided in last 3 years in the accounts.

e) The EIRC had a lease agreement with SBI, Harish Mukherjee Road Br. The Lease agreement expired on 31.12.2012 and the same had not been renewed it. EIRC has not received rent from SBI since the expiry of lease deed.

f) In terms of the orders dated 27th May 2015 passed by the Disciplinary Committee, in complaint no. Com/21-CWA (9) 2010, the following orders were imposed against a Member in terms of Sec 21B(3) CWA Act, 1959 read with rule 19(1) of the Cost and Works Accountants (procedure of Investigations of Professional & Other Misconduct and conduct of cases), Rules 2007.

- "Reprimanding the Member
- Repayment of the entire amount of Rs. 64,461/- to EIRC of Institute plus equivalent amount of fine to be paid within 30 days of service of the order and
- Removal of the name from the register of Member for period of one year from date of the service order"

Accordingly, Rs. 1,22,922/- was recoverable from the concerned person.

An appeal was preferred before the appellant authority of the Institute of Cost Accountants India and the said appellant Authority by virtue of order 09/04/18 in exercise of the powers conferred upon this said authority under clause (C) of sub section (2) of section 22E of the Cost and Works Accountants Act has stayed the operation of the Impugned Order passed by the Disciplinary Committee of the Institute till the completion of the directions for which the, matter is being remitted to the Disciplinary Committee of the Institute of Cost Accountants of India for under taking the aforesaid proceeding for the purpose as mentioned under Para(12) of the order dt.09/04/2018 and to pass fresh Order.

Bhubaneswar Chapter:

It is observed that the land & building of this Chapter is a Lease Hold property in the name of the Chapter. The Chapter has communicated to the Govt. of Odisha to transfer the same in the name of the Institute but still the case is pending at Government level.

(iv) NIRC

a. Based on the decision taken in the EC meeting held on Dt. 6th October 2015 at NIRC and further confirmed by Regional Council Meetings held on Dt. 22.11.2015, 27.11.2015 and 25.05.2016 respectively, a debit note amounting to Rs41,44,422 had been raised on the then Chairman for the year 2014-15.

The Regional Council in its meeting dated 31.5.2017, decided to file a recovery suit for an amount of Rs. 41,44,422/-plus interest charged @12% p.a. (Rs. 3,31,554) totaling Rs. 44,75,976/- from the date of such money becoming recoverable from the then chairman for the year 2014-15 has not been booked in revenue account, as a claim for such recoveries has been filed with the honorable Delhi High Court and the decision is pending.

b. As per online dues status verified by the NIRC Auditors, NIRC has outstanding Tax Demand of Rs. 1,55,130/-. Since the NIRC is following up the matter with Income Tax authorities, no provision has been made in the books in respect of penal interest that may become payable as NIRC is of the opinion that such demands may not stand valid as same needs rectifications and follow up with the Income Tax department, although the provision/adjustment for the outstanding demand has been made in the books of Accounts. Details of the outstanding demand of Tax necessary correction/rectification are as below:

Financial Year	Outstanding Demand(Rs.)
2017-18	21,020
2016-17	70
2015-16	910
2014-15	5,400
2013-14	12,910
2011-12	30,180
2010-11	13,390
2009-10	10,670
2008-09	43,160
2007-08	17,420
Total	1,55,130/-

Legal Charges amounting to Rs. 2, 13,700/- pertain to legal cases filed by/against NIRC. The same has been debited to Head Office and shown as amount recoverable from the Head Office. The claim raised with H.O. but pending for approval and release of dues as on date.

c. Payment was made to employees (As Consultants) which are not on the payrolls of NIRC, accordingly consultants being unregistered and NIRC being registered, as such was liable to deposit GST under reverse charge till the 14th October 2018 and input of the same should have been claimed. However, NIRC has treated it is an outward supply and GST of Rs. 46,112/- was deposited under the wrong head. Due to limitations inserted by GST portal this amount shall be claimed adjusted at the time of submission of annual GST return.

9. **Contingent Liability (Claims not acknowledged as Debt)**

a) As per policy medical expenses (General, Pathology expenses) are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years.
As on 31st March 2018, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs.58, 14,552/-.

b) There is a legal suit filed by ex contractual employees against EIRC sometime in the year 2014, which is still pending. Status has not been charged during the year. Necessary effect if any will be provided in the accounts after the final outcome of the case.

10.

Case No.	Name of the Party	Case lying in Court	Particulars
W.P. No. 22566 (W2016)	Mitra & Associates & Others Vs ICAI & Others	Kolkata High Court	Petitioner foiled a cease for recovery of money. Accrued due to construction & other works of EIRC (84 Harish Mukherjee Road, Kolkata – 700026) amounting to Rs. 24,79,274/-
Arbitration Petition (ST) 7232 of 2017	Gulraj Construction VS. ICAI	Bombay High Court	Arbitration matter Institute & Vendor for Rs. 4,69,40,914/-. The Institute represented through its empaneled lawyer to the Honourable High court of Bombay and the Institute has filed acounter claim for Rs.4,75,63,671/- from the contractor..

11. Old Examination forms have been written off. The impact of such write off is as follows:

Particulars	**Qty (Nos.)**	**Amt. (Rs in Lakhs)**
Examination form	12656	2.71

12. Balance of GST input credit as on 31.3.2018 amounting to Rs 1,15,10,266/- has been charged to Income & Expenditure Account. GST output tax of Rs.49,48,660/- is payable along with interest during filing of annual return.

13. In respect of freehold land & building and leasehold land, no deed could be produced for Rs.57.73 lakhs. Original deed in respect of freehold land & building could not be produced for Rs.280.07 lakhs (Rs.107.99 lakhs in the name of the Institute & Rs.172.08 lakhs in the name of the chapters).

14. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of accounts.

15. Based on the available information as at 31st March, 2018, there is no amount including Interest thereon payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006".

16. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's groupings.

CMA Arup Sankar Bagchi
Director (Finance)

CMA L. Gurumurthy
Secretary (Acting)

CMA Balwinder Singh
Vice President

CMA Amit Anand Apte
President

Date: 29.09.2018

ANNEXURE-I

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2017-18

WESTERN REGION	
SL.NO.	**NAMES**
1	**WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**
2	Ahmedabad Chapter of ICAI
3	Aurangabad Chapter of ICAI
4	Baroda Chapter of ICAI
5	Bhilai Chapter of ICAI
6	Bhopal Chapter of ICAI
7	Bilaspur Chapter of ICAI
8	Goa Chapter of ICAI
9	Indore-Dewas Chapter of ICAI
10	**Jabalpur Chapter of ICAI #**
11	Kalyan-Ambarnath Chapter of ICAI
12	Kolhapur-Sangli Chapter of ICAI
13	Kutch-Gandhidham Chapter of ICAI
14	Nagpur Chapter of ICAI
15	Nasik-Ojhar Chapter of ICAI
16	Navi Mumbai Chapter of ICAI
17	Pimpri–Chinchwad–Akurdi Chapter of ICAI
18	Pune Chapter of ICAI
18	Raipur Chapter of ICAI
20	Surat-South Gujarat Chapter of ICAI
21	Vapi-Daman-Silvassa Chapter of ICAI
22	*Vindhyanagar Chapter of ICAI*
23	*Solapur Chapter of ICAI*
24	*Bharuch Ankleshwar Chapter of ICAI*

SOUTHERN REGION	
SL.NO.	**NAMES**
1	**SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL**
2	Bangalore Chapter of ICAI
3	Bhadravati -Shimoga Chapter of ICAI #
4	Cochin Chapter of ICAI
5	Coimbatore Chapter of ICAI
6	Erode Chapter of ICAI
7	Godavari Chapter of ICAI
8	Hyderabad Chapter of ICAI
9	Kottayam Chapter of ICAI
10	Madurai Chapter of ICAI
11	Mangalore Chapter of ICAI
12	Mettur-Salem Chapter of ICAI
13	Mysore Chapter of ICAI
14	Nellai-Pearl City Chapter of ICAI
15	Nellore Chapter of ICAI
16	*Neyveli Chapter of ICAI*
17	Palakkad Chapter of ICAI
18	Pondicherry Chapter of ICAI
18	Ranipet-Vellore Chapter of ICAI
20	Thrissur Chapter of ICAI
21	Tiruchirapalli Chapter of ICAI
22	Trivandrum Chapter of ICAI
23	Ukkunagaram Chapter of ICAI
24	Vijayawada Chapter of ICAI
25	Visakhapatnam Chapter of ICAI

EASTERN REGION	
SL.NO.	**NAMES**
1	**EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**
2	*Agartala Chapter of ICAI*
3	Asansol Chapter of ICAI
4	Bokaro Steel City Chapter of ICAI
5	Bhubaneswar Chapter of ICAI
6	Cuttack Jagatsinghpur Kendrapara Chapter of ICAI
7	Dhanbad-Sindri Chapter of ICAI
8	Durgapur Chapter of ICAI
9	Guwahati Chapter of ICAI
10	Hazaribag Chapter of ICAI
11	Howrah Chapter of ICAI
12	Jajpur-Keonjhar Chapter of ICAI

NORTHERN REGION	
SL.NO.	**NAMES**
1	***NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL***
2	Agra-Mathure Chapter of ICAI
3	Ajmer-Bhilwara Chapter of ICAI
4	Allahabad Chapter of ICAI
5	Chandigarh-Panchkula Chapter of ICAI
6	Dehradun Chapter of ICAI
7	Faridabad Chapter of ICAI
8	***Ghaziabad Chapter of ICAI #***
9	Gorakhpur Chapter of ICAI
10	Gurgaon Chapter of ICAI
11	Hardwar-Rishikesh Chapter of ICAI
12	Jaipur Chapter of ICAI

13	Jamshedpur Chapter of ICAI
14	Kharagpur Chapter of ICAI
15	Naihati-Ichapur Chapter of ICAI
16	Patna Chapter of ICAI
17	Rajpur Chapter of ICAI
18	Ranchi Chapter of ICAI
18	Rourkela Chapter of ICAI
20	Sambalpur Chapter of ICAI
21	Serampore Chapter of ICAI
22	Siliguri-Gangtok Chapter of ICAI
23	South Orissa Chapter of ICAI
24	Talcher-Angul Chapter of ICAI
25	Dhuliajan Chapter of ICAI

13	Jalandhar Chapter of ICAI
14	*Jammu Srinagar Chapter of ICAI*
15	Jhansi Chapter of ICAI
16	Jodhpur Chapter of ICAI
17	Kanpur Chapter of ICAI
18	Kota Chapter of ICAI
18	Lucknow Chapter of ICAI
20	Ludhina Chapter of ICAI
21	*Naya Nangal Chapter of ICAI*
22	Noida Chapter of ICAI
23	Patiala Chapter of ICAI
24	Udaipur Chapter of ICAI
25	Bikaner Jhunjhunu Chapter of ICAI

 # Not Included

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.17 11:43:44 +05'30'